Annual Report

वार्षिक रिपोर्ट 1999-2000

DDR for Archives

भारतीय मानक ब्यूरो

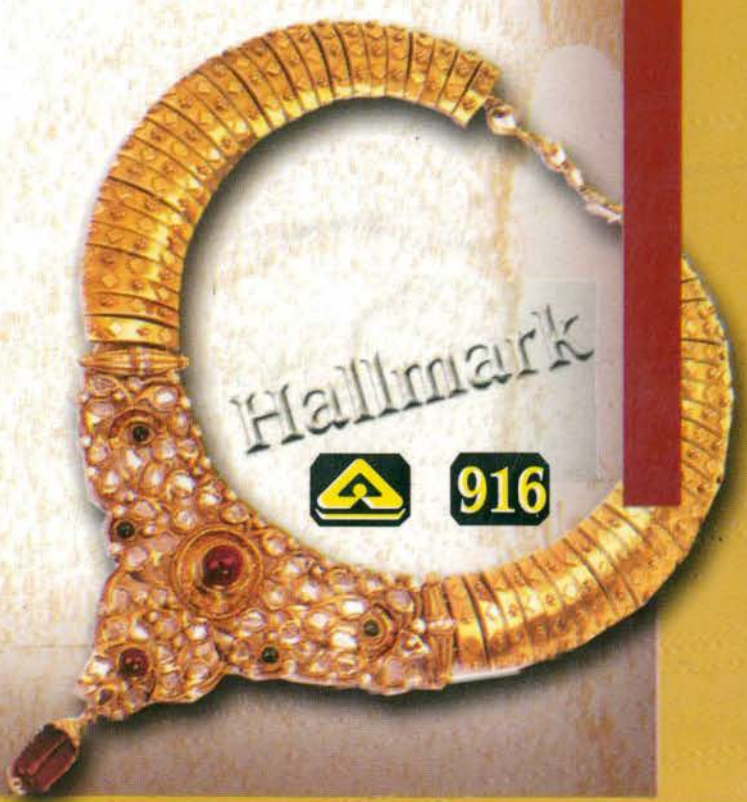

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

ब्यूरो, कार्यकारिणी समिति तथा महानिदेशालय के प्रमुख अधिकारी
(31 मार्च 2000 को)
PRINCIPAL OFFICERS OF BUREAU, EXECUTIVE COMMITTEE AND THE DIRECTORATE GENERAL
(As on 31 March 2000)

भारतीय मानक ब्यूरो Bureau of Indian Standards

अध्यक्ष	President	श्री शान्ता कुमार केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री	Shri Shanta Kumar Union Minister for Consumer Affairs, Food & Public Distribution
उपाध्यक्ष	Vice President	श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, राज्य मंत्री	Shri V. Sreenivasa Prasad Minister of State for Consumer Affairs, Food & Public Distribution
अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति	Chairman, Executive Committee	श्री पी. एस. दास, महानिदेशक भारतीय मानक बयूरो	Shri P. S. Das, DG, BIS

भामा ब्यूरो महानिदेशालय BIS Directorate General

मुख्यालय Headquarters

महानिदेशक	Director General	श्री पी. एस. दास	Shri P. S. Das
अपर महानिदेशक तकनीकी	Additional Director General Technical	श्री पी. दक्षिणामूर्ति	Shri P. Dakshinamurty
मुहरांकन	Marks	श्री वी. के. जैन	Shri V. K. Jain
मुख्य सर्तकता अधिकारी	Chief Vigilance Officer	श्रीमती रश्मि चौधरी	Smt Rashmi Chaudhuri
उपमहानिदेशक	**Deputy Directors General**		
तकनीकी सहायी सेवाएँ	Technical Support Services	श्री आर. सी. जैन	Shri R.C. Jain
प्रयोगशाला	Laboratory	श्री डी. के. अग्रवाल	Shri D.K. Agrawal
तकनीकी	Technical	श्री सतीश चन्द्र	Shri Satish Chander
वित्त	Finance	श्री बी. जी. शंकर राव	Shri B.G. Sankara Rao
प्रशासन	Administration	श्री डी. के. सिंह	Shri D.K. Singh

क्षेत्रीय कार्यालय Regional Offices

उपमहानिदेशक	Deputy Directors General		
मध्यक्षेत्रीय	Central Region	श्री वी. एस. माथुर	Shri V. S. Mathur
उत्तरी क्षेत्र	Northern Region	श्री डी. आर. कोहली	Shri D. R. Kohli
पश्चिमी क्षेत्र	Western Region	श्री ओ. पी. खुल्लर	Shri O. P. Khullar
पूर्वी क्षेत्र	Eastern Region	श्री ए. आर. बैनर्जी	Shri A. R. Banerjee
दक्षिणी क्षेत्र	Southern Region	श्री एम. एस. नागराज	Shri M. S. Nagaraja

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT

1999-2000

भारतीय मानक ब्यूरो पुस्तकालय
BUREAU OF INDIAN STANDARDS LIBRARY
3476/mbc
दिनांक Date 2002-11-15
नई दिल्ली NEW DELHI

मानकःपथप्रदर्शकः

भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

विषय सूची
CONTENTS

1. सिंहावलोकन 1
   Overview

2. नीति योजना और कार्यनीति 3
   Policy Planning and Strategies

3. मानक 3
   Standards

4. प्रमाणन 9
   Certification

5. प्रयोगशाला सेवाएँ 14
   Laboratory Services

6. सतर्कता संबंधी गतिविधियाँ 16
   Vigilance Activities

7. सूचना सेवाएँ 17
   Information Services

8. प्रशिक्षण सेवाएँ 19
   Training Services

9. उपभोक्ता संबंधी गतिविधियाँ 20
   Consumer Related Activities

10. अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ 21
    International Activities

11. मानव संसाधन विकास 24
    Human Resource Development

12. कंप्यूटरीकरण और कार्यालय स्वचलन 25
    Computerization and Office Automation

13. वित्त, लेखा और लेखा–परीक्षा 27
    Finance, Accounts and Audit

सिंहावलोकन
OVERVIEW

वर्ष 1999–2000 भारतीय मानक ब्यूरो के लिए लगातार समीक्षा करने का वर्ष था, जिसका आरम्भ पिछले वर्ष हुआ, ताकि नवविकसित बाज़ारचालित अर्थव्यवस्था की माँगों की पूर्ति करने के लिए कार्यवाई की जा सके। भारतीय मानक ब्यूरो ने वर्ष 1999–2000 के दौरान सभी क्षेत्रों में प्रगति करना जारी रखा। भारतीय मानक ब्यूरो की कुल आय 6 747.90 लाख रूपये हुई, जो पिछले साल की आय से 25 प्रतिशत अधिक थी। भारतीय मानक ब्यूरो ने लगातार ग्यारहवें वर्ष भी आवर्ती और योजनागत व्यय की पूर्ति अपने ही संसाधनों से की।

गत वर्ष में महत्त्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित थे :

- व्यापक रेंज वाले विषयों को शामिल करते हुए 367 राष्ट्रीय मानकों का निर्धारण, जिनमें से लोकहित से संबद्ध कुछ महत्वपूर्ण मानक हैं – "पराबैंगनी रोगाणु–नाशन युक्त वाटर प्यूरीफायर", "स्वचालित अग्नि संसूचन और अलार्म प्रणाली के चयन, संस्थापन और रखरखाव की रीति संहिता" तथा "सिंचाई उपस्कर – छिड़काव सिंचाई प्रणाली का डिजाइन, संस्थापन और प्रचालन"।

- विदेशी और आयात किए गए उत्पादों के प्रमाणन को सरल बनाने के उद्देश्य से *भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम* की धारा 10(1) (एच) के प्रावधानों के अन्तर्गत आयात किए गए उत्पादों के लिए नई प्रमाणन योजना शुरू की गई और यह सुनिश्चित किया गया कि राष्ट्रीय मानकों में निर्दिष्ट गुणता के स्तर वस्तुओं के आयात में भी अपनाए जाएँ।

- भारतीय मानकों/भारतीय मानक ब्यूरो प्रकाशनों की सम्पूर्ण पाठ–सामग्री के इलैक्ट्रॉनिकी संग्रहण और उनकी पुनः प्राप्ति की परियोजना मैसर्स बुक सप्लाई ब्यूरो, नई दिल्ली के सहयोग से केवल ढाई महीने के रिकार्ड समय में सफलता पूर्वक पूरी की गई। इस परियोजना को औपचारिक रूप से अक्तूबर 1999 में आरम्भ किया गया था।

- आग से सुरक्षा के लिए दक्ष पद्धति संबंधी परियोजना मैसर्स एन.आई.आई.टी. लिमिटेड, नई दिल्ली के सहयोग से सफलतापूर्वक पूरी की गई। यह सॉफ्टवेयर अग्निशामक विशेषज्ञों को भवनों के डिजाइन बनाने और उनमें अग्निशमन उपस्कर लगाने में उपयोगी मार्गदर्शन दे सकेगा।

- केन्द्रीय प्रयोगशाला, साहिबाबाद में (दिल्ली प्रशासन के लिए सीमेंट) और दक्षिणी क्षेत्रीय प्रयोगशाला, चेन्नई में (रक्षा मंत्रालय के केन्टीन भंडार विभाग के लिए विभिन्न वस्तुएँ) व्यावसायिक प्रशिक्षण आरम्भ किया गया।

- वर्ष के दौरान 26 नये उत्पादों का प्रमाणन आरंभ किया गया है, जैसे कि – पैकेजबंद पेयजल, स्वर्ण जेवरात, शल्यक्रिया की सुइयाँ तथा नीम आधारित पायसनीय सान्द्र युक्त एजेडिरेक्टिन आदि।

- भारतीय मानक ब्यूरो प्रयोगशाला मान्यता की पुनरीक्षित योजना को कार्यान्वित किया गया।

- केन्द्रीय प्रयोगशाला सहित भारतीय मानक ब्यूरो के सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों को इंटरनेट सम्पर्क से जोड़ा गया।

The year 1999-2000 was a year that carried forward the process of self assessment for the Bureau of Indian Standards (BIS) which was initiated the previous year to gear BIS to meet the demands of the emerging market driven economy. BIS continued to make all round progress during the year 1999-2000. With a total income of Rs 674.79 million, a growth of more than 25 percent over the previous year, BIS met its recurring and non-plan expenditure from its own resources for the eleventh consecutive year.

The highlights of the year gone by were :

- Formulation of 367 National Standards covering wide range of topics, some of important standards of public interest are 'Water Purifiers with Ultra-Violet Disinfection', 'Code of practice for selection, installation and maintenance of automatic fire detection and alarm system' and 'Irrigation equipment – Design, installation and operation of sprinkler irrigation system'.

- Launch of a new certification scheme for imported products under the provisions of the *BIS Act* Section 10(1) (h) with an aim to facilitate certification of foreign/imported products and to ensure that the levels of quality prescribed in National Standards are adhered to in import of goods.

- Successful completion of the project on Electronic Storage/ Retrieval of full text of Indian Standards/BIS Publications in collaboration with M/s Book Supply Bureau, New Delhi, in a record time of two and a half months. The project was formally launched in October 1999.

- Successful Completion of the Project on Expert System for Fire Protection in collaboration with M/s NIIT Ltd, New Delhi. The software will be useful for guiding the fire-fighting expert in designing of buildings and installation of fire fighting equipment.

- Commencement of commercial testing in Central Laboratory, Sahibabad (Cement for Delhi Administration) and Southern Regional Laboratory, Chennai (various items for canteen stores, Department of Ministry of Defence).

- Certification of 26 new products during the year comprising, items such as packaged drinking water, gold jewellery artifacts, surgical needles, neem based EC containing azadierachtin, etc.

- Implementation of the revised BIS Laboratory Recognition Scheme.

- Internet connectivity among all Regional and Branch Offices including BIS Central Laboratory.

- संशोधित रूप देने के लिए भामा ब्यूरो की वेब साइट को पुनः डिजाइन किया गया। आसानी से निर्देशन के लिए वेब पृष्ठों की पुनः संरचना की गई। इसे और अधिक सूचनात्मक बनाने के लिए इसमें नई सूचनाएँ जोड़ी जा रही हैं।

- वर्ष 1998 के लिए राजीव गाँधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार 6 जनवरी 2000 को विज्ञान भवन में आयोजित पुरस्कार समारोह में वितरित किए गए जिसकी अध्यक्षता माननीय श्री शांता कुमार केन्द्रीय उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री एवं अध्यक्ष, भारतीय मानक ब्यूरो ने की।

- ब्यूरो ने 14 अक्तूबर 1999 को अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की स्थापना की याद में विश्व मानक दिवस समारोह का आयोजन किया।

- सितम्बर 99 में हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया जिसमें हिन्दी टाइपिंग, हिन्दी आशुलिपि और वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी लेख प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई, और हिन्दी की प्रदर्शनी भी लगायी गई।

- 15 मार्च 2000 को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया।

- ब्यूरो में 15 मार्च 2000 को अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आई.एस.ओ.) के अध्यक्ष प्रोफेसर जी. एलियास ने दौरा किया।

- ब्यूरो में 2 फरवरी 2000 को श्रीलंका मानक संस्था (एस.एल.एस.आई.) के महानिदेशक श्री सी.डी.आर.ए. जयवर्धने ने दौरा किया ताकि दोनों देश परस्पर अपनी अनुरूपता मूल्यांकन योजना के अर्न्तगत उत्तरदायित्वों की भागीदारी की सम्भावनाओं का पता लगा सकें।

- सार्क – सहयोग–कार्यक्रम के अन्तर्गत सार्क देशों के लिए मानकों, गुणता नियंत्रण, और मापन के संबंध में स्थायी समूह की पहली बैठक 29 और 30 जून 1999 को नई दिल्ली में आयोजित करना; इस बैठक में भारत के अलावा बंगलादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका ने भाग लिया।

- Redesigning of the BIS Web Site to give it an improved look. Web pages are restructured to facilitate easy navigation. More information has been added to make it more informative.

- Awards Presentation Ceremony for Rajiv Gandhi National Quality Awards for the year 1998, at Vigyan Bhawan on 6 January 2000, presided by Shri Shanta Kumar, Hon'ble Minister for Consumer Affairs and Public Distribution and President of BIS.

- Celebration of World Standards Day on 14 October 1999 to commemorate the establishment of the International Organization for Standardization (ISO).

- Celebration of Hindi Pakhwara in September 1999 where various competitions in Hindi typing, shorthand and write-ups on Science and Technology and an exhibition on Hindi were organized.

- Celebration of the World Consumer Rights Day on 15 March 2000.

- Visit of Prof G. Elias, President, International Organization for Standardization (ISO) on 15 March 2000.

- Visit of Shri C.D.R.A. Jayawardene, Director General, Sri Lanka Standards Institution (SLSI) to BIS on 2 February 2000 to explore the possibility of sharing responsibilities under each other's conformity assessment scheme.

- Holding of the first meeting of Standing Group on Standards, Quality Control and Measurement for SAARC countries, under SAARC Cooperation Programme on 29 and 30 June 1999 in New Delhi. Bangladesh, Bhutan, Nepal and Sri Lanka besides India, participated in this meeting.

वर्ष 2000-01 के दौरान स्वर्ण जेवरात की हॉलमार्किंग की एक योजना प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। हमारा यह भी प्रयास है कि हम उत्तर क्षेत्रीय प्रयोगशाला, मोहाली के लिए एन.ए.बी.एल., प्रत्यायन प्राप्त करें, जिसके लिए विछले वर्ष के दौरान तैयारियाँ की गईं। भारतीय मानक ब्यूरो ने आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग के साथ अपनी सभी गतिविधियों को कम्प्यूटरीकृत करने की महत्वाकांक्षी परियोजना पर कार्य प्रारम्भ किया है।

राष्ट्र के प्रति भारत में मानक संवर्धन और गुणता संस्कृति की अपनी सामान्य प्रतिबद्धता के साथ चलने के लिए इन क्षेत्रों में औपचारिक पाठ्यक्रम आयोजित करने वाले किसी महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय से न होने के कारण हम सरकार के सहयोग से मानकीकरण, गुणता पद्धति और मापमिति इत्यादि पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने के लिए प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के इच्छुक हैं। इस प्रयोजन के लिए भूमि ली जा चुकी है और निर्माण की योजना बनाई जा रही है।

प्रवर्तन, उपभोक्ता शिक्षा और आधुनिकीकरण और कार्यालय स्वचालन की शिक्षा सम्बन्धी गतिविधियों पर प्राथमिकता से कार्य करना जारी रखा जाएगा। अब समय आ गया है कि भारतीय मानक ब्यूरो अपने प्रचालनों में लागत प्रभावशीलता पर अधिक से अधिक ध्यान केन्द्रित करें और अलग–अलग गतिविधियों को अपने ही खर्च से चलाए।

पी. एस. दास

पी.एस. दास
(महानिदेशक)

It is proposed to launch the scheme for Hallmarking of Gold Jewellery during the year 2000-01. It is also our endeavour to obtain NABL accreditation for the Northern Regional Laboratory, Mohali, preparations for which were made during the past year. BIS has also embarked upon an ambitious project to computerize all its activities with the use of modern technology.

In keeping with our general commitment to the national towards promoting standards and quality culture in India, we intend setting up a Training Institute with Government support to run training courses on Standardization, Quality Systems and Meteorology, etc, in the absence of any college or university providing formal courses in these areas. For this purpose land has been procured in Noida and construction plans are underway.

The activities of enforcement, consumer education and modernization and office automation will continue to receive priority. The time has come when BIS must focus more and more on cost effectiveness of its operations and find ways of making individual activities and units self sustaining.

P.S. Das

P.S. DAS
(Director General)

नीति योजना और कार्यनीति

विश्व में परस्पर एक दूसरे पर बढ़ती हुई निर्भरता से निवेश और व्यापार का उदारीकरण हो गया है, अतः भारतीय उद्योग के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाएं, अद्यतन प्रौद्योगिकी की जानकारी रखे और अपने ग्राहकों की, गुणता के लिए बढ़ती हुई मांग की पूर्ति कर सके।

भारतीय मानक ब्यूरो उद्योग में गुणता, जागरूकता सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसके लिए वह उद्योगों में गुणता और उत्पादकता पर और अधिक ज़ोर देकर आधुनिक तकनीक को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

ब्यूरो ने शीर्ष स्तर के निगमित निकाय के रूप में एवं उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण के केन्द्रीय मंत्री और भारतीय मानक ब्यूरो के अध्यक्ष के मार्ग दर्शन में अपने कार्यकलापों की दक्षता बढ़ाने और अपनी सेवाओं की गुणता के उन्नयन के लिए अनेक कदम उठाए हैं। वर्ष 1999–2000 के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो की गतिविधियों की मुख्य प्रवृति वार्षिक कार्य योजना निर्धारित करना था।

वर्ष के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रारम्भ किए गए अनेक कार्यों में निम्नलिखित उल्लेखनीय है:–

- भारतीय मानक ब्यूरो की संगठनात्मक संरचना का विकास किया गया ताकि उद्योग, उपयोगकर्ताओं और उपभोक्ता को मानकीकरण के क्षेत्र में सेवाएं और मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके।
- भारतीय मानक कार्यकलापों में गुणता पद्धतियां प्रारम्भ करना
- इलैक्ट्रॉनिकी–संचार की सहायता से भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों की बिक्री बढ़ाना।
- भारतीय मानक ब्यूरो की मानक मुहर के दुरूपयोग के विरूद्ध सुरक्षा प्रदान करने के लिए होलोग्राम को प्रारम्भ करने के लिए नीतिगत निर्णय।
- स्वर्ण जेवरातों का प्रमाणन (स्वर्ण जेवरातों की हॉलमार्किंग)

योजनागत परियोजनाएँ

भारतीय मानक ब्यूरो की आधारभूत सुविधाएं जो व्यापक मात्रा में पूंजी लगाने वाली किस्म की हैं, को राष्ट्रीय योजनागत परिव्यय के भाग के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रदान किये गए वित्त द्वारा निर्मित किया गया है। नवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) के अन्तर्गत यथाअनुमोदित भारतीय मानक ब्यूरो की योजनागत परियोजनाओं में विभिन्न परियोजनाओं को बढ़ाने के लिए 1 782.00 लाख रूपये का परिव्यय रखने पर विचार किया गया। हाँलाकि मंत्रालय ने योजनागत परियोजना की पुनरीक्षा के बाद केवल प्रशिक्षण संस्था की परियोजना को रखते हुए अन्य सभी परियोजनाओं को योजनागत निधियों के अन्तर्गत वापस ले लिया। इसमें भूमि और भवन निर्माण की लागत के लिए 800.00 लाख रूपये योजनागत निधियों से उपयोग किए गए।

मानक

मानक निर्धारण

मानक निर्धारण गतिविधि के संबंध में वर्ष के दौरान सिविल इंजीनियरी विद्युत तकनीकी, इलैक्ट्रॉनिकी और दूरसंचार, यांत्रिकी इंजीनियरी, वस्त्रादि इंजीनियरी और जल संसाधन की विभाग परिषदों की बैठकें की गई। 207 विषय समितियों की बैठकें आयोजित की गई जिसमें उपसमितियों और कार्यकारी समूह की बैठकें बड़ी संख्या में शमिल थीं। इनमें मानक और सम्बद्ध तकनीकी प्रलेखों के मसौदों पर विस्तार से विचार किया गया।

POLICY PLANNING & STRATEGIES

In an increasingly interdependent world characterized by liberalization of trade and investments, it is imperative for the Indian Industry to enhance their competitiveness, to keep abreast with the latest technologies and to meet the increasing quality demands of its customers.

BIS plays an important role in creating quality consciousness amongst the industry, in encouraging them to lay greater emphasis on quality, productivity and adoption of modern techniques.

Guided by the Bureau, the apex level body corporate with the Union Minister of Consumer Affairs and Public Distribution, as the President, BIS, initiated several steps towards enhancing the efficiency of its operations and upgrading the quality of its services. The tone for the activities of BIS during the year 1999-2000 was set up in the Annual Action Plan 1999-2000.

The notable among the several initiatives taken by BIS during the year are as follows:

- Development of BIS Organizational Structure so as to provide service and guidance to the industry, the users, the consumers in the field of standardization.
- Installing Quality Systems in BIS operations.
- Increase in sale of BIS standards with the help of electronic media.
- Conscious policy decision to introduce Hologram as a safeguard against misuse of BIS Standard Mark.
- Gold Jewellery Certification (Hallmarking of Gold Jewellery)

Plan Projects

The infrastructure facilities of BIS which are capital intensive in nature are built through finances provided by the Government of India as a part of the National Plan Outlay. The BIS Plan projects as approved under the Ninth Five Year Plan (1997-2002) envisaged an outlay of Rs 178.20 million for augmenting the various plan projects. However, the Ministry of Finance after a review of the plan schemes withdrew all the projects under the plan funds retaining the project for Training Institute, utilizing Rs 80.00 million towards cost of land and construction of the building from the plan funds.

STANDARDS

STANDARDS FORMULATION

To take stock of standards formulation activity, Division Councils of Civil Engineering, Electrotechnical, Electronics and Telecommunication, Mechanical Engineering, Textile Engineering and Water Resources met during the year. The meetings of 207 Sectional Committees in addition to large number of Subcommittees and working groups were also held to consider drafts of standards and related technical documents in detail.

वर्ष 1999 – 2000 के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो ने 367 (नये और पुनरीक्षित) मानकों का निर्धारण किया जिससे लागू मानकों की संख्या 31 मार्च 2000 को 17 410 हो गई। (*देखें* आकृति 1)

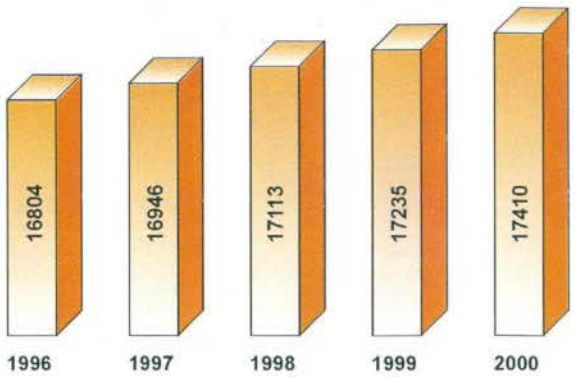

आकृति 1 लागू मानकों की संख्या (31 मार्च को)
Fig. 1 Standards in Force (As on 31 March)

महत्वपूर्ण मानक

वर्ष के दौरान कुछ महत्वपूर्ण विषय जिन पर नये और पुनरीक्षित मानक निर्धारित किए गए हैं, नीचे दिए गए हैं:–

IS 14724:1999 पराबैंगनी विसंक्रमण वाले जल परिशोधित्र:–

इस मानक में पानी का विसंक्रमण करने के लिए पराबैंगनी किरणों के विकिरण का उपयोग करके बनाए गए जल परिशोधित्र शमिल किए गए हैं। इस परिशोधित्र से यह आशा की जाती है कि मानव उपभोग के लिए उपयुक्त, निरापद तथा पानी में उत्पन्न होने वाले रोगाणु से रहित पानी की उपलब्धि हो सकेगी। इसलिए यह परिशोधित्र घरों और कार्यालयों में और उन स्थानों में जहाँ जनसाधारण की भीड़ इकठ्ठी होती है, के लिए उपयोगी होंगे। इस मानक में परिशोधित्र के निर्माण में उपयोगी विभिन्न घटकों और निर्माण सम्बन्धी ब्यौरे दिए गए हैं। इस मानक में परिशोधित्र का डिज़ाइन और कार्यकारिता अपेक्षाएं जिनमें बिजली और पराबैंगनी अनावरण से सुरक्षा सम्बन्धी अपेक्षाएं दी गई हैं। कार्यकारिता के सत्यापन के लिए अनेक परीक्षण दिए गए हैं। इस मानक में सूक्ष्म जीव विज्ञान के परीक्षण जो सक्रियित कार्बन के अवशोषण और विभिन्न जीवाणुओं को रोकने के लिए होते हैं, भी दिए गए हैं।

IS 1417:1999 स्वर्ण और स्वर्ण मिश्रधातु, जेवरात/शिल्प वस्तुओं की उत्कृष्टता और मुहरांकन – विशिष्टि (*तीसरा पुनरीक्षण*)

इस विशिष्टि में विभिन्न कैरट के स्वर्ण की उत्कृष्टता से सम्बन्धित अपेक्षाएं दी गई हैं। इस मानक को अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टि ISO 9202 जो बहुमूल्य धातुओं की उत्कृष्टता के लिए है, के अनुकूल किया गया है। इस मानक में जेवरात और सम्बद्ध शिल्पवस्तुओं के मुहरांकन के सम्बन्ध में अपेक्षाएं विस्तार से दी गई है। जहाँ तक मुहरांकन का सम्बन्ध है, IS 8844:1978 के प्रावधानों को पुनरीक्षित विशिष्टि में उपयुक्त ढंग से शामिल किया गया है, ताकि स्वर्ण जेवरात के लिए भारतीय मानक ब्यूरो की हॉलमार्किंग योजना की अपेक्षाओं की पूर्ति की जा सके।

IS 2189:1999 स्वचालित आग संसूचन और सचेतक तन्त्र का चुनाव, संस्थापन और रखरखाव–रीति संहिता

आग संसूचन और सचेतक तंत्र का प्रयोजन जहाँ तक व्यवहारिक हो आग का पता लगाने और सचेत करने के लिए होता है ताकि उचित कार्यवाही की जा सके। (उदाहरण के लिए: भीड़ को खाली करना, आग बुझाने के संगठन को बुलाना, आग बुझाने की प्रक्रियाओं को तेज़ी से करना आदि)

इस मानक में आग संसूचक और सचेतक तंत्र की आयोजना, डिजाइन, चुनाव और संस्थापन की अपेक्षाएं शामिल की गई हैं। यह साधारण तंत्रो में लागू हो जाता है जिसमें कुछ हाथ से किए जाने वाले कॉल प्वाइंट होते हैं तथा कुछ जटिल संस्थापन

During 1999-2000, BIS formulated 367 (new and revised) standards, bringing the total number of standards in force to 17 410 as on 31 March 2000 (*see* Fig. 1)

Important Standards

Some of the important subjects on which new or revised standards were formulated during the year are listed below:

IS 14724 : 1999 Water purifiers with ultra-violet disinfection

The standard covers water purifiers employing ultra-violet (UV) radiation for disinfection of water. The purifier is expected to give water borne pathogen free water, safe and suitable for human consumption. These purifiers are hence suitable for domestic use, for use in offices and places of public gatherings. The standard provides details of construction and various components used for manufacture of the purifier. Design and performance requirements including electrical safety and safety against UV exposure have also been laid down in the standard. Various tests for verification of performance have been covered. Test for microbiology to check the various organisms and test for absorption of activated carbon have also been incorporated in the standard.

IS 1417 : 1999 Gold and gold alloys, jewellery / artefacts – Fineness and marking – Specification *(third revision)*

The specification gives the fineness requirements of gold of different caratages. The standard has been aligned with the International specification, ISO 9202 for fineness of precious metals. It also details the requirements with respect to marking of the jewellery/artefacts. The provisions of IS 8844 : 1978 with respect to marking have been suitably incorporated by way of merger in the revised specification to meet the requirements of BIS Hallmarking Scheme for Gold Jewellery.

IS 2189 : 1999 Selection, installation and maintenance of automatic fire detection and alarm system – Code of practice

The purpose of a Fire Detection and Alarm System is to detect fire at the earliest practicable moment and to give an alarm so that appropriate action can be taken (for example, evacuation of occupants, summoning the fire-fighting organization, triggering of extinguishing processes, etc).

This standard covers the planning, design, selection and installation of fire detection and alarm systems. It is applicable to simple systems with a few manual call points as well as to complex

वाले संसूचक, हाथ से चलाने वाले कॉल प्वाइंट, नियंत्रण और सूचना देने वाले उपस्कर आदि शामिल हैं।

IS:14792:2000 सिंचाई उपस्कर–छिड़काव सिंचाई के डिजाइन, संस्थापन, प्रचालन–रीति संहिता

इस देश में छिड़काव सिंचाई पद्धतियों का उपयोग काफी मात्रा में बढ़ रहा है। इस लिए यह आवश्यकता महसूस की गई कि ऐसी सिंचाई पद्धतियों के संस्थापन की सिफ़ारिशी रीतियों के लिए मानक तैयार किया जाए।

अतएव यह मानक तैयार किया गया है। इस मानक में कृषि भूमि, बागान, लॉन और भूमि के प्राकृतिक क्षेत्रों की सिंचाई के लिए प्रयुक्त छिड़काव, सिंचाई तंत्रों के डिज़ाइन संस्थापन और प्रचालन की कार्य विधियाँ निर्दिष्ट की गई हैं।

मानकों की पुनरीक्षा और उनका अद्यतन करना

जहाँ भी आवश्यकता होती है मानकों की पुनरीक्षा की जाती है परन्तु एक मानक की 5 वर्ष बाद पुनरीक्षा अवश्य की जाती है। वर्ष के दौरान ब्यूरो ने 2 775 मानकों की पुनरीक्षा के बाद 2 566 मानकों को पुर्नपुष्ट किया। 434 मानकों का पुनरीक्षण किया गया और 40 को वापस ले लिया गया। इसके अतिरिक्त मानकों के 252 संशोधनों को भी अनुमोदित किया गया।

मानकों में सामंजस्यता

मानकीकरण गतिविधि के विकास में और देश की विभिन्न एजेंसियों द्वारा तैयार किए गए मानकों में सामंजस्यता लाने के लिए अनेक विभागों के साथ विचारविमर्श किया गया। ये विभाग स्वास्थ्य और पर्यावरण और रक्षा मंत्रालय थे। भारतीय मानकों में रक्षा विभाग की अपेक्षाओं को शामिल करने के लिए ब्यूरो और रक्षा मंत्रालय के बीच प्रयास किए गए ताकि उन्हें व्यवसायिक रूप से आवश्यक अनेक सामग्रियां भारतीय मानकों के अनुरूप उपलब्ध हो सकें। वर्ष के दौरान 95 मानकों में सामंजस्यता लाई गई।

installations comprising detectors, manual call points, control and indicating equipment, etc.

IS 14792 : 2000 Irrigation equipment — Design, installation, and operation of sprinkler irrigation systems — Code of practice

The use of sprinkler irrigation systems in this country is increasing at a substantial rate. As the need for recommended practices for systems design and installation has been felt extensively, this standard has been prepared.

This standard prescribes the procedure for the design, installation and operation of sprinkler systems used for irrigation of agricultural lands, orchards, lawns and land escaped areas.

Review and Updating of Standards

Standards are reviewed as considered necessary, but at least once in five years. After review of 2 775 standards, 2 566 standards were reaffirmed, 434 were taken up for revision and 40 were withdrawn during the year. In addition, 252 Amendments to standards were approved.

Harmonization of Standards

In order to have harmonious development of standardization activity and to harmonize standards made by different agencies in the country, discussions were held with many departments including Ministries of Health, Environment and Defence. Efforts between the Bureau and the Minsitry of Defence were made to incorporate requirements of Defence Departments in the Indian Standards so as to make available to them many commercially off-the-shelf items complying to the requirements of Indian Standards. During the year, 95 standards were harmonized.

मानकों को बढ़ावा देना

भारतीय मानकों का शैक्षिक उपयोग

आज की तकनीकी संस्थाओं के विद्यार्थी कल के प्रबन्धक होंगें और उनको मानकीकरण और गुणता पद्धति के विषयों में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है ताकि वे उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाएं और वस्तुओं में गुणता को लाने के लिए सक्षम हो सके। इस बात को पहचानते हुए भारतीय मानक ब्यूरो ने नियमित रूप रो मानकों के शैक्षिक उपयोग पर कार्यक्रम संचालित किए जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में अद्यतन भारतीय मानकों के प्रति संकाय सदस्यों और वरिष्ठ विद्यार्थियों में जागरूकता लाना और मानकीकरण के संदेश को बढ़ावा देना था। संकाय सदस्य जो शिक्षा प्रदान करते हैं यदि उन्हें मानकों की उपलब्धता और महत्व के प्रति जागरूक कर दिया जाए तो वे मानकों के कार्यान्वयन में माध्यम का काम कर सकते हैं।

वर्ष के दौरान मानकों के शैक्षिक उपयोग पर 8 कार्यक्रम प्रवर ग्रामीण इंजीनियरिंग कालेज, लोनी (महाराष्ट्र); गवर्नमेंट पोलीटेकनीक, जम्मू तवी (जम्मू और कश्मीर); पांडेचेरी इंजीनियरिंग कॉलेज (पांडेचेरी); चमड़ा

STANDARDS PROMOTION

Educational Utilization of Indian Standards (EUS)

The students of technical institutions of today are the managers of tomorrow, and they need to be trained in the subjects of standardization and quality system, so that they are well equipped to introduce quality in goods and services delivered by them. Recognizing this, BIS has been regularly conducting programme on Educational Utilizations of Standards with the specific aim to propagate the message of standardization and to make the faculty members and senior students aware of the latest Indian Standards in the various fields. The faculty who impart the education, if properly sensitized about the importance and availability of standards can be the vehicle for implementation of standards.

During the year 8 programmes on Education Utilization of Standards were organized for Pravara Rural Engineering College, Loni (Maharashtra); Government

प्रौद्योगिकी कॉलेज, कलकत्ता (पश्चिम बंगाल); बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय इंजीनियरिंग कालेज, वल्लभ विद्यानगर (गुजरात); मालवीय क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, जयपुर (राजस्थान); एम बी एम इंजीनियरिंग कॉलेज, जोधपुर (राजस्थान); और मदन मोहन मालवीय कॉलेज गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) में आयोजित किए गए थे।

उद्योग जागरूकता कार्यक्रम

उद्योग जागरूकता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लघु क्षेत्र उद्योगों में मानकीकरण और गुणता पद्धति के पहलू को बढ़ावा देना है। ऐसे कार्यक्रम भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आयोजित किए जाते हैं जिनमें व्याख्यान, विचार विमर्श होते हैं और विडियो फिल्में दिखाई जाती हैं। जहाँ प्रतिभागियों को मानकीकरण गुणता पद्धति उत्पाद प्रमाणन और भारतीय मानक ब्यूरो की गतिविधियों के पहलुओं के बारे में जानकारी मिलती है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा ये कार्यक्रम स्थानीय उद्योग संगठनों और सम्बद्ध लघु क्षेत्र उद्योग सेवा संस्था के साथ मिलकर आयोजित किए गए थे।

वर्ष के दौरान पाँच ऐसे कार्यक्रम हैदराबाद, (आन्ध्र प्रदेश), तिरूनेलविल्लि (तमिलनाडु), मुम्बई (महाराष्ट्र), काशीपुर (उत्तर प्रदेश), अहमदाबाद (गुजरात)) में आयोजित किए गए थे।

विद्युत केबलों से सम्बन्धित उद्योगवार सम्मेलन नई दिल्ली में 29 मार्च 2000 को किया गया था।

राज्य स्तर की समितियाँ

सम्पूर्ण देश में मानकीकरण और गुणता पद्धति के संदेश को बढ़ावा देने और मानकों के प्रभावशाली कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर की स्थायी कार्यविधियों के लिए मानकीकरण और गुणता पद्धति के लिए राज्य स्तर की समितियाँ 27 राज्यों और संघ शासकीय प्रदशों में स्थापित की गई। वर्ष 1999–2000 के दौरान मेघालय, मणिपुर, अरूणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पांडेचेरी, दिल्ली और महाराष्ट्र में आयोजित की गई। इन बैठकों में राज्य सरकारों द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो मुहरांकित सामग्री को खरीदने, कार्मिकों के प्रशिक्षण, गुणता नियंत्रण आदेशों को लागू करना, उपभोक्ता शिक्षा और राज्य सरकारों द्वारा उत्पाद बनाने वाली इकाइयों तथा गुणता पद्धति प्रमाणन लाइसेंस लेने वालों के लिए प्रोत्साहन देने सम्बन्धी विषयों पर जोर दिया गया।

विश्व मानक दिवस

विश्व मानक दिवस 1999 में 14 अक्तूबर 1999 को अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की स्थापना की याद में आयोजित किया गया। इस मौके के उपलक्ष में भारतीय मानक ब्यूरो में मुख्यालय तथा इसके क्षेत्रीय/शाखा/निरीक्षण कार्यालयों में संगोष्ठियां, प्रर्दशनियां, व्याख्यान, बैठकें और ओपन हाउस चर्चाएं आयोजित की गई। नई दिल्ली में भारतीय मानक बयूरो ने 'मानकों से निर्माण' विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन श्री शान्ता कुमार, केन्द्रीय मंत्री उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण ने किया। इस संगोष्ठी की अध्यक्षता उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद ने की। इस अवसर पर, 'मानकों से निर्माण', पर एक पुस्तिका प्रकाशित की गई जिसमें "भवन और निर्माण" में प्रयुक्त 1 000 मानकों की सूची दी गई है।

राजीव गाँधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा राजीव गाँधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार की स्थापना इसलिए की गई ताकि भारतीय निर्माणकारी और सेवा देने वाले संगठनों को उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और ऐसे संगठनों को विशेष मान्यता दे सकें

Polytechnic, Jammu Tawi (J&K); Pondicherry Engineering College, Pondicherry; College of Leather Technology, Calcutta (West Bengal); Birla Vishvakarma Mahavidyalaya Engineering College, Vallabh Vidyanagar (Gujarat); Malviya Regional Engineering College, Jaipur (Rajasthan); M.B.M. Engineering College, Jodhpur (Rajasthan); and Madan Mohan Malviya Engineering College, Gorakhpur (Uttar Pradesh).

Industry Awareness Programmes

The basic aim of the Awareness Programme is to propagate the concept of standardization and quality systems among small scale industries. Such programmes organized by BIS consist of lectures, discussions and video film shows, where the participants are exposed to the concept of standardization, quality systems, product certification and other BIS activities. These programmes are organized by BIS in association with Local Industry Associations and Small Industries Service Institute of that area.

During the year five such programmes were organized at Hyderabad (Andhra Pradesh), Tirunelveli (Tamil Nadu), Mumbai (Maharashtra), Kashipur (Uttar Pradesh), and Ahmedabad (Gujarat).

An Industrywise Conference on Electrical Cables was also organized at New Delhi on 29 March 2000.

State Level Committees (SLCs)

In order to have a permanent mechanism at the state level to ensure effective implementation of standards and to propagate the message of standardization and quality systems all over the country, State Level Committees for Standardization and Quality Systems (SLCs) have been set up in 27 States/Union Territories. During 1999-2000, meetings of SLCs of Meghalaya, Manipur, Arunachal Pradesh, Tamil Nadu, West Bengal, Pondicherry, Delhi and Maharashtra were held. During these meetings emphasis was laid on purchase of BIS marked material by the State Governments, training of personnel, enforcement of quality control orders, consumer education and granting more incentives by State Governments to units holding product as well as quality system certification licences.

World Standards Day

World Standards Day 1999 was celebrated on 14 October 1999 to commemorate the establishment of International Organization for Standardization (ISO). To mark this occasion, seminars, exhibitions, lectures, meetings and open houses were organized at Headquarters and Regional/Branch/Inspection Offices of BIS. In New Delhi, BIS organized a seminar on the theme 'Building on Standards', which was inaugurated by Shri Shanta Kumar, Union Minister for Consumer Affairs, Food & Public Distribution. The Seminar was presided over by Shri V. Sreenivasa Prasad, Minister of State for Consumer Affairs & Public Distribution. On this occasion, a booklet was printed on the theme 'Building on Standards', in which about 1 000 standards for "Building and Construction" are listed.

Rajiv Gandhi National Quality Award (RGNQA)

Rajiv Gandhi National Quality Award was instituted by the Bureau of Indian Standards with a view to encouraging Indian manufacturing and service organizations to strive for excellence and giving special

उद्योग, व्यापार, शिक्षा, सरकारी संगठनों तथा उपभोकतओं की मानकीकरण तथा गुणता नियंत्रण के क्षेत्र में जानकारी को अद्यतन बनाए रखने की दृष्टि से भा मा ब्यूरो दो मानक अद्यतन योजनाएँ चला रहा है। पहली योजना के अंतर्गत 25 000 रूपये का वार्षिक चंदा है। इस "मानक अद्यतन योजना" में 18 सदस्य हैं। किसी विशिष्ट क्षेत्र में "मानक अद्यतन योजना" में प्रत्येक क्षेत्र के लिए वार्षिक चंदा 4 000 रूपये है, प्रबंधन तथा पद्धति के क्षेत्र में वार्षिक चंदा 1 500 रूपये है। इस योजना के अंतर्गत 41 सदस्य हैं।

Keeping in view the requirements of industry, trade, academia, government organizations and consumers to update their knowledge in the field of standardization and quality control, BIS is operating two Standards Update Schemes. Under one scheme the annual subscription is Rs 25 000. The subscriber enrolled under this scheme are 18. Subscription of other scheme which is of specific field is Rs 4 000 for each field except for management and systems for which it is Rs 1 500. The members under this scheme are 41.

प्रमाणन

उत्पाद प्रमाणन

भा मा ब्यूरो की उत्पाद प्रमाणन योजना में 1999–2000 के दौरान निरन्तर प्रगति हुई। वर्ष के दौरान 1 924 (एक वर्ष में अधिकतम) नये लाइसेंस प्रदान किए गए (*देखें* आकृति 2), जिनमें 26 ऐसे नये उत्पाद शामिल थे जो इस योजना में पहली बार शमिल किए गए। ये उत्पाद हैं स्नेहक, बहुउपयोगी (अत्यधिक दाब) गीयर ऑयल; स्वर्ण आभूषण शिल्प वस्तुएँ - सूक्ष्मता तथा सूचनांकन; गास्केट तथा पैकेजबंदी–संपीड़ित एसबेस्टॉस रेशा जोड़; कटिंग ऑयल, स्वच्छ पाइप रिंच, क्षैतिज अपकेन्द्री सेल्फ़ प्राइमिंग पम्प; रेस्पिरेटर, रासायनिक कार्ट्रिज; शल्य चिकित्सा के उपकरण - सुईयाँ, सूचर; भाग 2 छेद वाली सुइयाँ – साइज़, आकार तथा आयाम; मैटोएक्सटोन पानी में घुलनशील पाउडर; सामान्य सेवाओं के लिए मानव निर्मित रेशे से बने हुए गोल स्लिंग–सामान्य अपेक्षाएं; छोटे फ्रेयॉन सिलिंडर के लिए वाल्व फ़िटिंग; स्टार्ट करने की युक्तियाँ (ग्लो स्टार्टर को छोड़कर) भाग 2 कार्यकारिता अपेक्षाएँ, ऐसीफेट, तकनीकी, साइट्रिक अम्ल, खाद्य ग्रेड, मैट्रिबुजिन, तकनीकी, प्रत्यागामी आन्तरिक दहन इंजनों द्वारा चालित ऐसी जेनरेटर: भाग 1 आल्टरनेटर रेटित 20 के.वी.ए. तक; अग्निशामक यंत्र 50 किलोग्राम क्षमता के, पहियेदार जल टाइप (गैस काट्रिज); मेटालेक्सिनल तकनीकी; कारटेप हाइड्रोक्लोरिक एस.पी., एटोफैनप्रोक्स, पायसनीय सान्द्र; एजोडिरेक्टिन युक्त नीम से बनी इसी; जलमल के लिए उच्च घनत्व वाले पोलीइथालिन के पाइप; लैम्बड़ा–साइलहेलोथ्रीन डब्ल्यू.पी.; पैकेजबंद पेयजल, तप्त दाबित संचकित तापदृढ़ काँच रेशा प्रबलित पोलीएस्टर रेज़िन (जी.आर. पी.) सेक्शनल जल भंडारण टैंक तथा थायोफेनिट मिथाइल, तकनीकी।

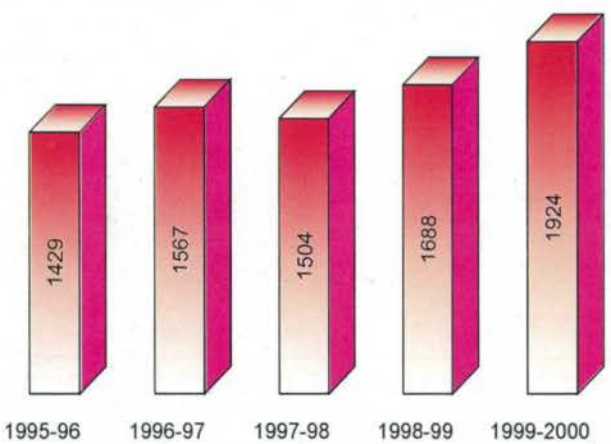

आकृति 2 भा मा ब्यूरो द्वारा दिए गए उत्पाद प्रमाणन लाइसेंस
Fig. 2 BIS Product Certification Licences Granted

भा मा ब्यूरो प्रमाणन महायोजना द्वारा इस प्रकार बनाये गये भारतीय मानकों की कुल संख्या, जिनके प्रति उत्पाद प्रमाणित किए गए हैं, योजना के आरंभ से लेकर अब तक 1 010 हो गयी। प्रमाणन से प्राप्त आय में पिछले वर्ष की तुलना में 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो अभी तक हुई सर्वाधिक बिक्री है और इससे यह राशि बढ़कर 6 063.60 लाख रूपए हो गयी।

31 मार्च 2000 में लागू लाइसेंसों को कुल संख्या बढ़कर 14 190 हो गयी (*देखें* आकृति 3)

CERTIFICATION

PRODUCT CERTIFICATION

Steady progress was made in BIS product certification scheme during 1999-2000. During the year 1924 (the highest ever in a year) new licences were granted (*see* Fig. 2) which included 26 new products covered for the first time under the scheme. These products are gear lubricants, multipurpose (extreme pressure gear oil); gold jewellery/artefacts – fineness and marking; gaskets and packaging – compressed asbestos fibre jointing; cutting oil, neat; pipe wrenches; horizontal centrifugal self priming pumps; respirators, chemical cartridge; surgical instruments-needles, suture : Part 2 Eyed needles-sizes, shapes and dimensions; metoxuron water dispersible powders; round slings made of man-made fibre for general service – general requirements; valve fittings for small freon cylinders; starting devices (other than glow starters) : Part 2 Performance requirements; acephate, technical; citric acid, food grade; metribuzin, technical; ac generator driven by reciprocating internal combustion engines: Part 1 Alternators rated up to 20 kVA; fire extinguisher 50 kg capacity, wheel mounted water type (gas cartridge); metalaxyl, technical; cartap hydrochloric SP; etofenprox, emulsifiable concentrate; neem based EC containing azadirachtin; high density polyethylene pipes for sewerage; lambda-cylhalothrin WP; packaged drinking water; hot pressed moulded thermosetting glass fibre reinforced polyester resin (GRP) sectional water strorage tanks and thiophanate methyl, technical.

The total number of Indian Standards thus adopted by the BIS Certification Marks Scheme against which products have been certified since inception of scheme rose to 1 010. Income from certification marked a 24 percent rise over the previous year to an all time high of Rs 606.36 million.

The total number of operative licences as on 31 March 2000 rose to 14 190 (*see* Fig. 3).

उत्पाद प्रमाणन योजना के अंतर्गत लागू लाइसेंसों, आवेदकों का मूल्यांकन

लाइसेंसों प्रचालन की मॉनोटरिंग के लिए कुल 32 132 निरीक्षण दौरे किए गए। वर्ष के दौरान 19 299 नमूने फैक्टरी से और 11 936 नमूने बाजार से (अब तक सबसे अधिक) लिए गए।

वर्ष के दौरान आवेदनों के प्रक्रमण में लगने वाले समय को कम करने का सजय प्रयास किया गया। वर्ष 1999–2000 में लाइसेंस प्रदान करने के लिए लिया गया औसत समय 204 दिन था।

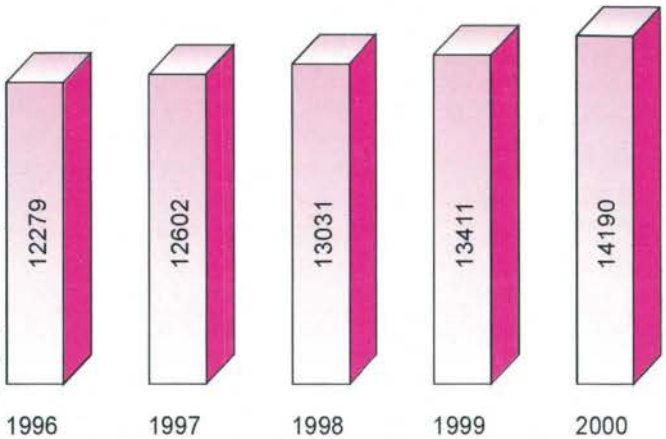

आकृति 3 लागू लाइसेंसों की संख्या (31 मार्च को)
Fig. 3 Number of Operative Licences (as on 31 March)

Assessment of Operative Licences/Applicants under Product Certification Scheme

To monitor the operation of licences, a total number of 32 132 inspection visits were paid. During the year 19 299 factory samples and 11 936 market samples (all time high) were drawn.

A conscious effort was made during the year to reduce the time taken for processing of applications. The average time taken for grant of licence was 204 days in the year 1999-2000.

प्रमाणन प्रचालन की समीक्षा

भा मा ब्यूरो प्रमाणन मुहर योजना के प्रचालन के लिए फीडबैक प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रचालन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले लाइसेंसधारियों के साथ नियमित रूप से पुनरीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। इस वर्ष जिन क्षेत्रों में पुनरीक्षा बैठकें आयोजित की गई, वे थे: इस्पात और इस्पात के उत्पाद, इस्पात नलिकाएं, कीटनाशी, एल.पी.जी. सिलिंडर, जूते तथा चप्पल, पी.वी.सी. पाइप तथा फिटिंग, गैर दाब चूल्हे, प्लाईवुड तथा इससे संबद्ध उत्पाद, छिड़काव यंत्र से सिंचाई की प्रणाली, पैराफिन वैक्स, इस्पात की तार-रस्सियाँ, पम्प सेट, यू.पी.वी.सी./एच.डी.पी.ई. पाइप तथा फिटिंग, पशु-आहार, गहराई से पानी निकालने का हथबरमें पी.सी.सी. पाइप, टपकाव सिंचाई प्रणाली, सीमेंट, तांबा, मिश्रित धातु के वाल्व इत्यादि।

Review of Certification Operation

In order to acquire feedback on the operation of the BIS Certification Marks Scheme, review meetings with the licensees representing significant fields of operations are organized on a regular basis. This year review meetings were organized covering the areas of steel and steel products, steel tube, pesticide, LPG cylinder, footwear, PVC pipes & fittings, non–pressure stoves, plywood & allied products, sprinkler irrigation system, paraffin wax, steel wire ropes, pump sets, UPVC/HDPE pipes & fittings, cattle feed, deepwell hand pump, PCC pipes, drip irrigation system, cement, copper alloy valves, etc, were organized during the year.

स्वर्ण आभूषणों की हॉलमार्किंग

भा मा ब्यूरो अधिनियम के अंतर्गत भारतीय मानकों के अनुसार स्वर्ण आभूषणों पर हॉलमार्किंग के लिए भारत सरकार ने भा मा ब्यूरो को एकमात्र ऐजेंसी के रूप में नामित किया है। भा मा बयूरो यह योजना अप्रैल 2000 से आरंभ कर रहा है। भामा ब्यूरो प्रमाणन योजना उन ज्वैलरों को प्रमाणित करेगी जो गुणता प्रणाली तथा शुद्धता की अन्तर्राष्ट्रीय अपेक्षाओं को पूरा करते हैं और मूल्यांकन तथा हॉलमार्किंग केन्द्रों से प्रत्यायित हैं। इस योजना का लक्ष्य उपभोक्ताओं को सोने की शुद्धता अथवा उसकी सूक्ष्मता के बार में उपभोक्ता को तृतीय पक्ष के रूप में आश्वासन देना है।

वर्ष के दौरान भा मा ब्यूरो की स्वर्ण आभूषणों के हॉलमार्किंग आधारभूत की प्रमाणन योजना आरंभ करने के लिए राष्ट्रीय संरचनात्मक सुविधाओं को विकसित करने के लिए अत्यधिक प्रयास किए गए। इसमें देशभर के विभिन्न शहरों में 10 जागरूकता कार्यक्रम, नई योजना के लिए आवश्यक प्रलेख तथा कसौटियाँ तैयार करना तथा स्वर्ण आभूषणों की हॉलमार्किंग के लिए स्थायी समिति द्वारा उनका अनुमोदन, तथा 5 मूल्यांकन एवं हॉलमार्किंग केन्द्रों का मूल्यांकन और उन्हें मान्यता देना, और नई योजना के अंतर्गत आवेदक ज्वैलरों का प्रमाणन शामिल है।

Hallmarking of Gold Jewellery

BIS has been nominated as the sole agency for Hallmarking of Gold Jewellery in India by the Government of India as per Indian Standards under the *BIS Act*, 1986. BIS is going to launch the scheme in April 2000. The BIS Certification Scheme will certify the jewellers meeting the international requirements for Quality System & Purity and Accredit Assaying and Hallmarking Centres. The scheme is aimed at providing third party assurance to consumers on the purity of gold or its fineness.

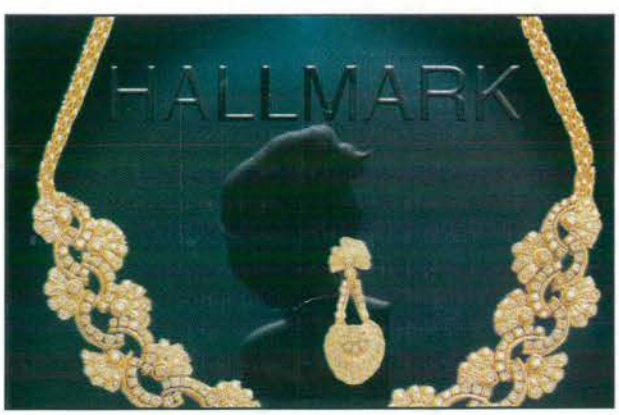

During the year, tremendous efforts were made to develop the national infrastructure for launching the BIS Certification Scheme for Hallmarking of Gold Jewellery. This includes ten awareness programmes in different cities across the country; development of necessary documentation and criteria for the new scheme and their approval by the standing committee for Hallmarking of Gold Jewellery and Assessment and Recognition of five Assaying & Hallmarking Centres; and certification of applicant jewellers under the new scheme.

विदेशी निर्माताओं और आयात किए गए उत्पादों का प्रमाणन

भामा ब्यूरो ने भामा ब्यूरो अधिनियम की धारा 10 (1) (एच) के प्रावधान के अंतर्गत आयात किए गए उत्पादों के लिए एक नई प्रमाणन योजना आरंभ की है। इस योजना का उद्देश्य विदेशी/आयात किए गए उत्पादों के प्रमाणन को सरल बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि वस्तुओं के आयात में राष्ट्रीय मानकों में निर्दिष्ट गुणता के स्तरों का अनुपालन किया गया है। ये तीन योजनाएँ हैं:–

1) विदेशी निर्माताओं के लिए भामा ब्यूरो प्रमाणन योजना
2) भारतीय आयातकों के लिए भामा ब्यूरो प्रमाणन योजना
3) आई.ई.सी. – सीबी योजना के अंतर्गत विदेशी निर्माताओं के लिए भामा ब्यूरो प्रमाणन योजना

विदेशी निर्माताओं के लिए भामा ब्यूरो प्रमाणन योजना के अंतर्गत नेपाल के विदेशी निर्माताओं को इमारती लकड़ी के उत्पादों के दो लाइसेंस प्रदान किये गये। इसके अलावा भामा ब्यूरो ने भूटान में भामा ब्यूरो की उत्पाद प्रमाणन योजना के प्रचालन के लिए भूटान की शाही सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया है, जिसके अंतर्गत दो लाइसेंस प्रदान किये गये हैं।

अन्य प्रमाणन निकायों की ओर से प्रमाणन

अन्य राष्ट्रीय मानक तथा प्रमाणनकर्ता निकायों की ओर से प्रमाणन गतिविधि में भामा ब्यूरो की सहभागिता में भी वृद्धि हुई है। केनेडियन स्टैंडर्डस एसोसिएशन (सी.एस.ए.) के अंतर्गत लाइसेसधारियों की संख्या 70 है तथा साउथ अफ्रीकन ब्यूरो ऑफ स्टैंड्र्डस के लिए यह संख्या 7 है। अन्तर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग (आई.ई.सी.) की आई.ई.सी. क्यू. प्रमाणन योजना के अंतर्गत भामा ब्यूरो, राष्ट्रीय मानक संगठन (एन.एस.ओ.) और राष्ट्रीय प्राधिकृत संस्थान (एन.ए.आई.), दोनों ही है। इस योजना के अंतर्गत अनुमोदनों की संख्या में 36 निर्माण करने वाली इकाइयाँ और 5 प्रयोगशालाएँ हैं। आई.ई.सी.ई.–सी.बी. योजना, जो आई.ई.सी. द्वारा प्रचालित की जाती है, के अंतर्गत भामा ब्यूरो राष्ट्रीय प्रमाणनकर्ता निकाय (एन.सी.बी.) है। इस वर्ष अल्प वोल्टता स्विच गीयर के क्षेत्र में दो प्रमाणन पत्र प्रदान किये गये।

प्रवर्तन संबंधी गतिविधियाँ

भामा ब्यूरो की प्रमाणन मुहर योजना में वृद्धि और इसकी लोकप्रियता के परिणामस्वरूप भामा ब्यूरो प्रमाणित उत्पादों पर उपभोक्ता और खरीददार अधिक जोर देने लगे हैं। ऐसे भी कई मामले रहे हैं जहाँ भामा ब्यूरो की मानक मुहर का दुरूपयोग किया गया। भामा ब्यूरो की मानक मुहर के दुरूपयोग को रोकने अथवा भामा ब्यूरो के वैध लाइसेंस के बिना किसी व्यक्ति/कंपनी द्वारा इसकी हूबहू नकल को रोकने के लिए भामा ब्यूरो प्रवर्तन पर बल देता है।

वर्ष के दौरान, भामा ब्यूरो की मानक मुहर के दुरूपयोग के कई मामलों में प्राथमिक स्तर पर गहन जाँच पड़ताल के बाद 51 शिकायतें रजिस्टर की गई। ये मामले विभिन्न उत्पादों से संबंधित थे, जैसे प्लाईवुड, सीमेंट, विद्युत रोधी लेपन के लिए तेल, यू.पी.वी.सी. पाइप, जी.एल.एस. लैम्प, एल.पी.जी. गैस चूल्हे, लेटेक्स फोम के उत्पाद, रोल की हुई बैंडज, एच.डी.पी.ई. पाइप, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, अग्निशामक यंत्र, प्रेरण मोटर, मलाई रहित दूध का पाउडर, बिटूमन नमदें, ब्लीचिंग पाउडर, पी.सी.सी. पाइप, एल्यूमिनियम के बर्तन, बिजली के उपकरण तथा सीआई पाइप इत्यादि।

भामा ब्यूरो ने 21 ऐसी फर्म/पार्टियों के खिलाफ अभियोग की कार्यवाही आरंभ की जो, सूक्ष्म प्रकार के सुवाहय – अग्निशामकों, गेटवॉल्व यू.पी.वी.सी. पाइप, शल्य क्रिया में प्रयुक्त होने वाले दस्ताने, मोनोक्रोटोफॉस, लैथ सेक्शन, सीमेंट, पानी के भंडारण हीटर, पापड़, एल.पी.जी. रबड़ की नलियाँ, जी.एल.एस. लैम्प, इत्यादि उत्पादों पर भामा ब्यूरो की मानक मुहर का उल्लंघन करते हुए पाये गये। वर्ष के दौरान सात मामलों में निर्णय

Certification of Foreign Manufacturers and Imported Products

BIS has launched new certification schemes for imported products under the provisions of the *BIS Act*, Section 10(1) (h). The schemes are aimed at facilitating certification of foreign/ imported products and ensure that the levels of quality prescribed in national standards are adhered to in import of goods. The three schemes are :

1) BIS Certification Schemes for Foreign Manufacturers.
2) BIS Certification Schemes for Indian Importers.
3) BIS Certification Schemes for Overseas Manufacturers under the IEC-CB Scheme.

Under BIS certification scheme for foreign manufacturers, two licences were granted to a foreign manufacturer in Nepal for timber products. Besides, BIS has an MoU with the Royal Government of Bhutan for operation of the BIS Product Certification Scheme in Bhutan, under which two licences have been granted.

Certification on Behalf of Other Certifying Bodies

BIS participation in certification activity on behalf of other national standards and certifying bodies also registered an increase. The corresponding number of licensee units under Canadian Standards Association (CSA) is 70 and for South African Bureau of Standards to 7. Under the IECQ certification scheme of the International Electrotechnical Commission (IEC), BIS is both the National Standards Organization (NSO) and the National Authorized Institution (NAI). The number of approvals granted under the scheme comprises of 36 manufacturing units and 5 laboratories. Under the IECEE-CB scheme, also operated by the IEC, BIS is the National Certifying Body (NCB). Two certificates were granted in the field of low voltage switchgear during the year.

Enforcement Activities

With the growth and popularity of the BIS Certification Marks Scheme resulting in consumers and purchasers insisting on BIS certified products, there have been instances of misuse of BIS Standard Mark also. BIS lays emphasis on enforcement to curb the misuse of standard mark or its colourable imitation by any person/company who is not holding a valid BIS licence.

During the year, after carrying out preliminary discrete investigation in large number of cases of misuse of BIS standard mark, 51 complaints were registered. These cases related to various products such as plywood, cement, insulating oil, UPVC pipe, GLS lamps, LPG gas stove, latex foam products, rolled bandage, HDPE pipe, miniature circuit breaker, fire extinguisher, induction motor, skimmed milk powder, bitumen tar felt, bleaching powder, PCC pipe, aluminium utensils, electrical appliances and CI pipe, etc.

BIS has launched prosecution proceedings against 21 firms/ parties who were found to have committed the violation of the BIS Standard Mark on the products like dry type portable fire extinguisher, gate valve, UPVC pipe, surgical gloves, monocrotophos, lath section, cement, storage water heater,

हो गया, जिनमें न्यायालय ने आरोपी पर भामा ब्यूरो अधिनियम 1986 के अनुसार जुर्माना/कैद अथवा दानों की सज़ा सुनाई। इनमें से दो मामलों में न्यायालयों ने फर्म के प्रोपराइटरों/साझेदारों में से सभी 13 आरोपियों पर भामा ब्यूरो अधिनियम के अंतर्गत 25 000 रु. का जुर्माना तथा भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) के अंतर्गत 3 000 रु. का जुर्माना लगाया, जिसके न दिये जाने पर दो महीने का साधारण कारावास और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक माह का साधारण कारावास दिया जायेगा। इसी प्रकार दूसरे मामले में माननीय जिला न्यायालय ने आरोपी पर 25 000 रु. का जुर्माना और न्यायालय की कार्यवाही समाप्त होने तक कारावास में रखने का दंड दिया और ऐसा न होने पर उस फार्म को छः महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा। अन्य मामलों में भी न्यायालयों ने आरोपियों पर विभिन्न राशि के जुर्माने लगाये और चूक की स्थिति में साधारण कारावास दिया।

तलाशी और जब्ती

आम आदमी को भामा ब्यूरो की मानक मुहर का दुरूपयोग करने वालों से बचने के लिए भामा ब्यूरो ने वर्ष के दौरान भामा ब्यूरो की मानक मुहर के दुरूपयोग पर प्रभावी रूप से नियंत्रण करना जारी रखा। साक्ष्य इकठ्ठा करने के लिए भामा ब्यूरो मानक द्वारा मुहर का दुरूपयोग करने वाली इकाइयों पर 16 तलाशी और जब्ती की कार्यवाही की गई। ये मामले विभिन्न उपभोक्ता उत्पादों से संबंधित थे, जैसे बिजली के उपकरण, एल्यूमिनियम के बर्तन, एल.पी.जी. गैस चूल्हे, जी.एल.एस. लैम्प, मोनोब्लॉक पम्प, एच.डी.पी. ई. पाइप, निमज्जनीय पम्प, इत्यादि।

भामा ब्यूरो विभिन्न राज्यों की प्रवर्तन संबंधी एजंसियों को विभिन्न गुणता नियंत्रण आदेशों से संबंद्ध जाँच पड़ताल करने, तलाशी और ज़ब्ती की कार्यवाही करने के दौरान लिए गए नमूनों के परीक्षण इत्यादि में उन्हें तकनीकी इनपुट, संपर्क तथा सहायता प्रदान करता है।

गुणता पद्धति प्रमाणन

भारतीय मानक ब्यूरो (भामा ब्यूरो) जो भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है, मानकीकरण पर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है, इनमें अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आई.एस.ओ.) भी शामिल है, जिसने आई.एस.ओ. 9000 परिवार के मानक निर्धारित किये हैं। भारत में एकमात्र प्रमाणन निकाय भामा ब्यूरो ही है, जो आई.एस.ओ. का सदस्य है।

भामा ब्यूरो भारत में एकमात्र ऐसा संगठन है जो संसद अधिनियम के अंतर्गत गुणता पद्धति प्रमाणन योजना चलाता है। लाभ न कमाने वाला संगठन होने के कारण इसकी गुणता पद्धति प्रमाणन सेवा न्यूनतम दरों पर दी जाती है। भामा ब्यूरो के देशभर में 5 क्षेत्रीय और 17 शाखा कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से ब्यूरो के पास समय पर और दक्ष सेवाएँ प्रदान करने की क्षमता और सामर्थ्य है। भामा ब्यूरो की अपनी टीम में 220 तकनीकी तथा वैज्ञानिक अधिकारी हैं, जिन्होंने लीड ऐसेसर का पाठ्यक्रम पूरा किया है। ब्यूरो के पास अवसंरचनात्मक सुविधाएं और विशेषज्ञता के व्यापक क्षेत्र हैं और इनकी सहायता से भारतीय वस्तुओं और सेवाओं की गुणता के उन्नयन के लिए ISO 9000 प्रमाणन के माध्यम से यह सर्वाधिक दक्ष सेवा देने की अन्य योग्यता रखता है।

वर्ष 1999–2000 के दौरान भामा ब्यूरो ने अपनी गुणता पद्धति प्रमाणन योजना के अंतर्गत एक सौ पैंसठ लाइसेंस प्रदान किये हैं। 1991 में योजना आरम्भ होने से लेकर अब तक भामा ब्यूरो ने विभिन्न संगठनों को छः सौ पैंतीस लाइसेंस प्रदान किए हैं। इन संगठनों में विविध प्रकार के उद्योग, जैसे इंजीनियरी, वस्त्रादि, वित्तीय, बैंकिंग सेवाएँ,

papad, LPG rubber tube, GLS lamps, etc. During the year seven cases have been decided in which the courts have convicted the accused with fine/imprisonment or both as per *BIS Act*, 1986. Out of these, in two cases courts have convicted the proprietors/ partners of a firm with a fine of Rs 25 000 to each of all 13 accused under *BIS Act* and Rs 3 000 each under IPC, failing which, two months simple imprisonment and one month simple imprisonment under IPC. Similarly in another case, accused was convicted by the Hon'ble Distt. Court with a fine of Rs 25 000 and sentenced till rising of the court, failing which he shall undergo six months simple imprisonment. In other cases also, the courts have convicted the accused with the varying amount of fine and in default, the simple imprisonment.

Search and Seizures

In order to protect the common consumer from being deceived by those misusing BIS Standard Mark, effective checking of misuse of BIS Standard Mark continued during the year. To collect the evidences, as many as 16 search and seizure operations were carried out during the year on units misusing BIS Standard Mark. These cases related to various consumer products such as electrical appliances, aluminium utensils, LPG gas stoves, GLS lamps, monoblock pumps, HDPE pipe, submersible pumps, etc.

BIS also provided technical inputs, liaison and assistance to enforcement agencies of various states in conducting investigations, search and seizure operations, testing of samples taken during enforcement activities, etc, relating to various quality control orders.

QUALITY SYSTEMS CERTIFICATION

Bureau of Indian Standards (BIS), the National Standards Body of India represents our country on various international fora on standardization including International Organization for Standardization (ISO) which has formulated ISO 9000 family of standards. BIS is the only certification body operating in India which is a member of ISO.

BIS is the only organization in India which operates Quality System Certification Scheme under an Act of Parliament. Being a non-profit organization, its Quality System Certification services are offered at minimal rates. BIS with a network of 5 Regional Offices and 17 Branch Offices throughout the country has the capacity and capability to provide timely and efficient services. BIS, with own team of more than 220 technical and scientific officers, who have undergone Lead Accessor's Course, infrastructure and wide spectrum of expertise, has a unique ability to provide the most efficient services through ISO 9000 certification, in upgrading the quality of Indian goods and services.

During the year 1999-2000, BIS has granted 165 licences under its Quality System Certification Scheme. Since the launch of the scheme in 1991, BIS has granted 635 liscences to various organizations, covering a wide range of industries, like engineering, textiles, financial, banking services, construction,

भवन निर्माण संबंधी, अस्पताल तथा थोक और खुदरा व्यापार शामिल है। भामा ब्यूरो की गुणता पद्धति प्रमाणन योजना में 113 छोटी इकाइयाँ शामिल है। 31 मार्च 2000 को लागू गुणता पद्धति प्रमाणन लाइसेंसों की कुल संख्या 595 थी (*देखें* आकृति 4)।

भामा ब्यूरो की गुणता प्रमाणन योजना के अंतर्गत लघु क्षेत्र के उद्योगों के लिए आवेदन और लाइसेंस शुल्क में 25 000 रु तक की छूट दी गई है जो ऐसे उद्योगों को गुणता प्रबंध पद्धति अपनाने और अपने उत्पादों की गुणता का उन्नयन करने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयासों में से एक है।

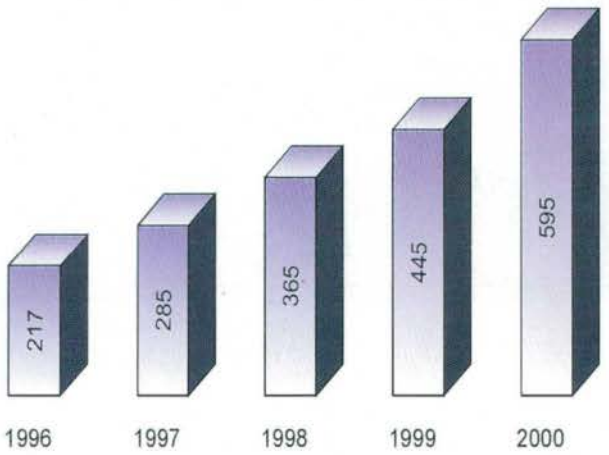

आकृति 4 गुणता पद्धति प्रमाणन लाइसेंसों की संख्या (31 मार्च को लागू)

Fig. 4 Number of Quality System Certification Licences (Operative as on 31 March)

भामा ब्यूरो की क्यू.एस.सी.एस. का प्रत्यायन

भामा ब्यूरो की गुणता पद्धति प्रमाणन योजना (क्यू.एस.सी.एस.) उन्नीस प्रमुख आर्थिक गतिविधियों के लिए नीदरलैंड के राड वूर एक्रीडिटेटी (आर.वी.ए.) द्वारा प्रत्यायित की गई है। भामा ब्यूरो की प्रमाणन योजना का प्रचालन ई.एन. 45012 "जनरल क्राइटेरिया फॉर सर्टिफिकेशन बॉडिज ऑपरेटिंग क्वालिटी सिस्टम सर्टिफिकेशन" में यथा–निर्धारित अन्तर्राष्ट्रीय मानदंड के आधार पर है। इस योजना का आर.वी.ए. द्वारा नियमित रूप से ऑडिट किया जाता है, ताकि निर्धारित अपेक्षाओं के प्रति उनके अनुपालन की पुष्टि की जा सके। इस योजना में शिकायतों की तीव्र गति से सुनवाई पर बल दिया जाता है, ताकि शिकायतकर्ता संतुष्ट हो सकें।

खाद्यजनित हानि विश्लेषण तथा क्रांतिक नियंत्रण बिंदु

खाद्यजनित हानि विश्लेषण तथा क्रांतिक नियंत्रण बिंदु (एच.ए.सी.सी.पी.) खाद्य उत्पादन में सूक्ष्म जैवीय और अन्य हानियों को पहचानने और उनके निवारण के लिए डिजाइन की गई प्रक्रिया नियंत्रण प्रणाली है। एच.ए.सी.सी.पी. खाद्य की पूरी श्रृंख्ला के दौरान लागू की जा सकती है, जो प्राथमिक उत्पादक से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक है और यह योजना आई.एस. 15000:1998 – "खाद्य स्वच्छता– एच.ए.सी.सी.पी. पद्धति तथा मार्गदर्शी सिद्धांत" पर आधारित है, जो तकनीकी रूप से कोडेक्स ऐलीमेंटेरियस स्टैंडर्डस ऐलीनोर्म – 97/13ए के समकक्ष है। एच.ए.सी.सी.पी. समेकित गुणता पद्धति प्रमाणन योजना के अंतर्गत अभी तक 13 कंपनियां प्रमाणित की गई हैं जो डेयरी, चावल, फल/सब्जियों, पेय पदार्थों तथा मसालों के क्षेत्र से संबंधित हैं। इसके लिए अपनाई गई प्रक्रिया गुणता पद्धति प्रमाणन योजना की प्रक्रिया के समान है। यह योजना खाद्य और खाद्य उत्पादों के क्षेत्र के निर्यातकों, विशेष रूप से यूएसए और यूरोप जैसे देशों को होने वाले निर्यात के लिए सहायक होगी।

पर्यावरण प्रबंध पद्धति प्रमाणन

वर्ष 1999–2000 के दौरान पर्यावरण प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना (ईएमएस) आरंभ करने के फलस्वरूप भामा ब्यूरो ने IS/ISO 14001:1996 के अनुसार 14 लाइसेंस प्रदान किए। 31 मार्च 2000 तक दिए गए लाइसेंसों

hospitals and wholesale and retail trade. There are 113 small scale and units covered under BIS Quality System Certification Scheme. The total number of Quality System Certification licences operative as on 31 March 2000 stood at 595 (*see* Fig. 4).

Under the BIS Quality System Certification Scheme, concession in application and licence fee is extended to small scale industries to the tune of Rs 25 000 as one of the efforts to encourage such industry to adopt Quality Management System and upgrade quality of their products.

Accreditation of BIS QSCS

The BIS Quality Systems Certification Scheme (QSCS) has been accredited by Raad voor Accreditatie (RvA), Netherlands for 19 major economic activities. The operation of BIS certification scheme is based on international criteria as laid down in EN 45012 "General criteria for certification bodies operating quality system certification". The scheme is regularly audited by RvA to confirm compliance to the laid down requirements. The scheme envisages speedy redressal of complaints to the satisfaction of the complainant.

Hazard Analysis and Critical Control Point

Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) is a process control system designed to identify and prevent microbial and other hazards in food production. HACCP can be applied throughout the food chain from primary producer to final consumer and the scheme is based on IS 15000: 1998 "Food hygiene – HACCP systems and guidelines" which is technically equivalent to the Codex Alimentarious Standards ALINORM-97/13A. Under the HACCP Integrated Quality Systems Certification Scheme, 13 Companies have been certified so far covering, dairy, rice, fruits/vegetable, drinks and spice sectors. The process followed for certification is akin to the process of Quality System Certification Scheme. This scheme will help the exporters in the field of food and food products specially export the countries like USA and Europe.

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION

Consequent to launching of Environmental Management Systems Certification Scheme (EMS), BIS has granted 14 licences as per IS/ISO 14001:1996

की संचयी संस्था 20 थी। इन लाइसेंसों में प्रौद्योगिकी के नये क्षेत्र, जैसे एकीकृत इस्पात संयंत्र, तापीय पावर संयंत्र, वैमानिक उद्योग तथा परमाणु पावर स्टेशन शामिल हैं।

during the year 1999-2000. Cumulative number of licences granted, up to 31 march 2000, has been 20. These licences cover new technology areas like integrated Steel Plants, Thermal Power Plants, Aeronautical Industries and Atomic Power Stations.

ईएमएस जागरूकता कार्यक्रम

भामा ब्यूरो ने ISO 14000 श्रृंखला के मानकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना जारी रखा, ताकि उद्योगों द्वारा अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में ISO 14001 के कार्यान्वयन उद्देश्य से उनकी प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और उन्हें भामा ब्यूरो की ईएमएस प्रमाणन योजना से परिचित कराया जा सके।

EMS Awareness Programmes

BIS continue to organize awareness programme on ISO 14000 series of standards in order to meet the training needs of the industry for the purpose of implementation of ISO 14001 in their business activities and also apprise them about the EMS certification scheme of BIS.

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणन के क्षेत्र की अद्यतन प्रवृतियों और विकास से भामा ब्यूरो को पूरी तरह से परिचित कराने के लिए भामा ब्यूरो ने ISO/TC 207 "पर्यावरण प्रबंध" जो अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण सगंठन (आई.एस.ओ.) की तकनीकी समिति है, की सियोल (दक्षिण कोरिया) में 30 मई से 6 जून 1999 तक आयोजित सातवीं बैठक में भाग लिया।

Also to keep BIS fully abreast with latest trends and developments in the field of certification at international level, BIS participated in the 7th Meeting of ISO/TC 207 'Environmental Management', the Technical Committee of International Organization for Standardization (ISO) at Seoul (South Korea) during 30 May to 6 June 1999.

प्रयोगशाला सेवाएँ

LABORATORY SERVICES

भामा ब्यूरो की देशभर में फैली आठ प्रयोगशालाओं के नेटवर्क ने संबद्ध भारतीय मानक के प्रति भामा ब्यूरो द्वारा प्रमाणित उत्पादों का अनुरूपता परीक्षण करने के लिए परीक्षण सेवा और परीक्षण से सबद्ध गतिविधियों जारी रखी। वर्ष के दौरान भामा ब्यूरो प्रयोगशालाओं द्वारा 27 751 परीक्षण रिपोर्ट जारी की गई जो विविध उत्पादों के लिए थीं। इनका परीक्षण मूल्य 277.20 लाख रु. था।

The network of 8 BIS laboratories spread throughout the country, continued to provide testing services and test related activities to undertake conformity testing of BIS certified products against relevant Indian Standards. During the year 27 751 test reports were issued by BIS laboratories covering a wide range of products, the test value being Rs 27.72 million.

गुणता आश्वासन गतिविधियाँ

आइ.एस.ओ./आई.ई.सी. गाइड 25 तथा परीक्षण और अंशशोधन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एन.ए.बी.एल.) मानदंडों के आधार पर अच्छी प्रयोगशाला रीतियों के प्रबंध और प्रचालन के सभी पहलू शामिल करते हुए गुणता पद्धति प्रलेखन (गुणता मैनुअल, प्रक्रियाएं, कार्य संबंधी अनुदेश, प्रपत्र तथा सूचियां) केन्द्रीय प्रयोगशाला तथा क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में कार्यान्वयाधीन हैं। यथा कार्यान्वित गुणता पद्धति के नियमित अंतराल पर उन अर्हता प्राप्त और प्रशिक्षित ऑडिटरों द्वारा ऑडिट किया जाता है जो या तो एनएबीएल का प्रयोगशाला मूल्यांकक का पाठ्यक्रम पूरा कर चुके है अथवा जो प्रयोगशाला में अनुभव सहित आईएसओ 9000/आईएसओ 14000 लीड एसेसर का पाठ्यक्रम पूरा कर चुके हैं।

Quality Assurance Activities

Quality Systems documentation (Quality Manual, Procedures, Work Instructions, Form and Lists) covering all aspects of management and operation of good laboratory practices based on the ISO/IEC Guide 25 and National Accreditation Board for Testing and Calibration (NABL) Criteria are under implementation in the Central Laboratory as well as all the regional laboratories. The quality system as implemented is audited at regular intervals by qualified and trained auditors who have either undergone NABL Laboratory Assessor's Course or ISO 9000/ISO 14000 Lead Assessors Course with laboratory experience.

प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन पद्धति

भामा ब्यूरो की केन्द्रीय प्रयोगशाला साहिबाबाद ने अपने जैविक, रासायनिक, वैद्युत तथा यांत्रिक परीक्षण भागों के साथ–साथ वैद्युत और यांत्रिक अनसंधान भागो के लिए ही एनएबीएल का प्रत्यायन प्राप्त कर लिया है।

मुंबई की पश्चिम क्षेत्रीय प्रयोगशाला और कोलकाता की पूर्वी क्षेत्रीय प्रयोगशाला अपने यांत्रिक, रासायनिक और वैद्युत भागों के लिए प्रत्यायित की जा चुकी है। एनएबीएल द्वारा चेन्नई की दक्षिण क्षेत्रीय प्रयोगशाला के यांत्रिक, वैद्युत और रासायनिक भागों के लिए मूल्यांकन पहले ही पूरा हो चुका है और उनका अनुमोदन प्रतीक्षित है।

National Accreditation System for Laboratories

BIS Central Laboratory, Sahibabad has already obtained NABL accreditation for its biological, chemical, electrical and mechanical testing sections as well as for electrical and mechanical calibration sections.

The Western Regional Laboratory, Mumbai and Eastern Regional Laboratory, Kolkata have been accredited for their mechanical, chemical and electrical sections. The assessment of Southern Regional Laboratory, Chennai for their mechanical, electrical and chemical sections has already been completed by NABL and their approval is awaited.

मोहाली की उत्तर क्षेत्रीय प्रयोगशाला ने पिछले वर्ष अपने वैद्युत, यांत्रिक तथा रासायनिक भाग के लिए एनएबीएल प्रत्यायन के लिए आवेदन दे दिया है और यह आशा है कि पूरी प्रयोगशाला के लिए 2000–2001 में एनबीएल प्रत्यायन प्राप्त हो जायेगा।

एनएबीएल प्रत्यायन प्राप्त करने के अलावा भामा ब्यूरो, एनएबीएल द्वारा संचालित प्रयोगशाला मूल्यांकक का पाठ्क्रम पूरा कर चुके कई अधिकारियों को जहाँ अपेक्षित है वहाँ मूलयांकक के रूप में एनएबीएल की सहायता के लिए उपलब्ध करा रहा है।

परीक्षण सुविधाओं का आधुनिकीकरण और उन्नयन

भामा ब्यूरो लगातार अपना उच्च स्तर बनाये रखने के लिए अपनी परीक्षण प्रयोगशालाओं को आधुनिक और उन्नत बनाने के लिए कार्य कर रहा है।

वर्ष के दौरान खरीदे गए मुख्य उपकरणों में पटना प्रयोगशाला के लिए 7.35 कि.वाट सीमेंट क्षमता के डीजल इंजन परीक्षण के लिए 600°C तक के डायल तापमान मापी तथा सीमेंट परीक्षण के लिए इस्पात के 15 घन संचकन थे।

उत्तर क्षेत्रीय प्रयोगशाला में डौर क्लोजर के लिए सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई; पश्चिम क्षेत्रीय प्रयोगशाला में स्टील ड्रम, क्लोरोमेक्वेट क्लोराइड, डेन्सिटी हाइड्रोमीटर, अमोनियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, जिंक सल्फेट, लेडेड टिन ब्रोंज, एलपीजी के साथ प्रयुक्त वाल्वफिटिंग, गहराई से पानी निकालने के हथबरमें, टपकाव सिंचाई के लिए सिंचाई उपस्कर, पोलीइथालिन की सूक्ष्म नलिकाएं, टलवां लोहे के अपकेन्द्री दाब पाइप, रबड़ के शलय क्रिया के दस्ताने, एलपीजी के साथ प्रयुक्त घरेलू गैस चूल्हें, अग्निशामक यंत्र, पटना प्रयोगशाला के लिए मोटरकृत ऐंठन और, संवेस्टन परीक्षण नया बंगलौर प्रयोगशाला में जीएलएस लेंम्प तथा नमी अंश (कार्ल फिशर उपकरण) हेतु सुविधाएं बढ़ायी गयीं।

दक्षता परीक्षण

भामा ब्यूरो ने अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे नाटा, एप्लेक के साथ–साथ राष्ट्रीय संगठनों जैसे एनसीसीबीएम, सीएफटीआरआई तथा सीएमईआरआई द्वारा आयोजित विभिन्न वस्तुओं के दक्षता परीक्षण में भाग लिया और सराहनीय परिणाम प्राप्त किए। पश्चिम क्षेत्रीय प्रयोगशाला, मुंबई, पूर्वी क्षेत्रीय प्रयोगशाला, कोलकाता तथा केन्द्रीय प्रयोगशाला, साहिबाबाद में एनएबीएल की ओर से सीएमईआरआई, दुर्गापुर द्वारा संयोजित इस्पात की गोल छड़ों के लिए दक्षता परीक्षण में भाग लिया। केन्द्रीय प्रयोगशाला ने इस्पात की छड़ों के तनन परीक्षण के लिए एप्लेक टी 015 द्वारा संयोजित दक्षता परीक्षण में भाग लिया और इसकी कार्यकारिता अच्छी रही।

अंशशोधन सुविधाएँ

ISO 9000 प्रमाणन प्राप्त करने के इच्छुक अथवा प्राप्त कर चुके उद्योगों की ओर से अशंशोधन सुविधाओं के लिए अधिक माँग को देखते हुए और भामा ब्यूरो की केन्द्रीय प्रयोगशाला और दक्षिण क्षेत्रीय प्रयोगशाला का उदाहरण अपनाते हुए मुंबई स्थित पश्चिम क्षेत्रीय प्रयोगशाला को लंबाई, द्रव्यमान, बल तथा दाब इत्यादि के क्षेत्र में बाहर के ग्राहकों के लिए (घरेलू आवश्यकताएं पूरी करने के बाद) खोला गया।

400 से. तक के पीआरटी द्वारा तापमान अंशशोधन की सुविधाएं दक्षिण क्षेत्रीय प्रयोगशाला में उपलब्ध करायी गयी। पश्चिम क्षेत्रीय प्रयोगशाला में 600 किग्रा/वर्ग से.मी. तक की रेंज के लिए दाब मापी, मानक आरटीडी तापयुग्म तथा तुला के लिए घरेलू अंशशोधन आरंभ किया गया।

व्यावसायिक परीक्षण

भामा ब्यूरो प्रयोगशाला में उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करने के उद्देश्य से केन्द्रीय प्रयोगशाला (दिल्ली प्रशासन के लिए सीमेंट) तथा दक्षिण क्षेत्रीय प्रयोगशाला (रक्षा मंत्रालय के केंटीन भंडार विभाग के लिए विभिन्न वस्तुओं) में व्यावसायिक परीक्षण आरंभ किया गया है। गुवाहटी, प्रयोगशाला ने प्रभार लेकर लाइसंसधारियों के नमूनों का तनन परीक्षण करना जारी रखा।

The Northern Regional Laboratory, Mohali has submitted applications for NABL accreditations of its electrical, mechanical and chemical section last year, and the entire lab is expected to obtain NABL accreditation during 2000-2001. Preliminary assessment has already been done by NABL.

Besides obtaining NABL accreditation, BIS is providing resources for operation of the NABL accreditation system with a number of officers having undergone the Laboratory Assessor's Course conducted by NABL for assisting NABL as assessors, whenever required.

Modernization and Upgradation of Test Facilities

BIS is constantly working to modernize and upgrade its testing laboratories to maintain its high standards.

During the year major equipments added are Dial temperature gauge up to 600°C for testing of diesel engine upto 7.35 kW capacity and 15 numbers of steel cube moulds for cement testing at Patna laboratory.

The facilities were added for door closure at NRO laboratory; for steel drums, chlromequat chloride, density hydrometers, ammonium bromide, sodium bromide, zinc sulphate, leaded tin bronze, valve fittings for use with LPG, deepwell handpumps, Irrigation equipment, polyethylene micro tubes for drip irrigation, centrifugally cast iron pressure pipes, surgical rubber gloves, disposable surgical rubber gloves, domestic gas stove for use with LPG, fire extinguishers at WRO laboratory; for motorized torsion and wrapping testing at Patna laboratory and for GLS lamps and moisture content (Karl Fischer Apparatus) at Bangalore laboratory.

Proficiency Testing

BIS laboratories participated in proficiency testing of various items organized by international organization like NATA, APLAC and national organizations like NCCBM, CFTRI and CMERI and obtained commendable results. Western Regional laboratory, Mumbai, Eastern Regional Laboratory, Calcutta and Central Laboratory, Sahibabad participated in the proficiency testing of the round steel bars coordinated by CMERI, Durgapur on behalf of NABL. Central Laboratory also participated in the proficiency test coordinated by APLAC T 015 for tensile testing of steel bars and performance was good.

Calibration Facilities

In view of great demand for calibration facilities from the industry, either seeking or having ISO 9000 certification and following BIS Central Laboratory and Southern Regional Laboratory's example, Western Regional Laboratory at Mumbai was thrown open to external customers (besides servicing in-house needs) in the areas of length, mass, force and pressure, etc.

SRO laboratory has added facilities for temperature calibration by PRTs up to 400°C. WRO laboratory has started the in-house calibration for pressure gauges for ranges up to 600 kg/cm^2. Standard RTD thermocouples and Weighing balances.

Commercial Testing

In order to utilize spare capacity available in BIS Laboratories, commercial testing has been commenced in Central Laboratory (cement for Delhi Administration) and Southern Regional Laboratory (various items for canteen stores, department of Ministry of Defence). Guwahati Laboratory continued to conducts tensile test for samples for licensees on chargeable basis.

भामा ब्यूरो की प्रयोगशाला मान्यता योजना

भामा ब्यूरो की पुनरीक्षित प्रयोगशाला मान्यता योजना, 1995 जो ISO/IEC गाइड 25 (जनरल रिक्वायरमेंटस फॉर कम्पीटेंस ऑफ केलीब्रेशन एंड टेस्टिंग लेब्रोरेटीज) में वर्णित अन्तर्राष्ट्रीय पद्धति के साथ समरूप की गई है तथा इसे मुख्यत भामा ब्यूरो प्रमाणन मुहर योजना के अंतर्गत प्राप्त परीक्षण नमूनों के लिए बाहरी प्रयोगशालाओं की सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रचालित किया गया और इस योजना के अंतर्गत प्राप्त परीक्षण नमूनों के लिए बाहरी प्रयोगशालाओं की सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रचालित किया गया और इस योजना का कार्यान्वयन 1 अप्रैल 1998 से हुआ। विभिन्न क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों द्वारा कुल 90 बाहरी प्रयोगशालाओं को मान्यता दी गई है। मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की सूची वेबसाइट में भी दी गई है।

BIS Laboratory Recognition Scheme

The revised BIS Laboratory Recognition Scheme, 1995, aligned with international system outlined in ISO/IEC Guide 25 (General Requirements for Competence of Calibration and Testing Laboratories) and operated to recognize outside laboratories for utilization of their services mainly to test samples generated from BIS Certification Marks Scheme, was implemented with effect from 1 April 1998. A total number of 90 outside laboratories have been recognized. A list of the recognized laboratories has also been put up on the web site.

सतर्कता संबंधी गतिविधियाँ

भारतीय मानक ब्यूरो का सतर्कता विभाग अपने कर्मचारियों के बीच भ्रष्ट व्यवहार को निरूत्साहित करने के लिए वातावरण सृजित करने का कार्य करता है। सर्तकता विभाग का प्रमुख प्रधान सतर्कता अधिकारी है जो केन्द्रीय सतर्कता आयोग प्रशासन उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग गृह मंत्रालय, जैसी अन्य ऐजेन्सियों के साथ घनिष्ठ समन्वय बनाए रखता है। सतर्कता विभाग की गतिविधियां वार्षिक कार्यगत योजना के अनुसार आयोजित की जाती हैं। इस विभाग के मुख्य कार्य निवारक, गुप्त सूचना एकत्रित करना और सतर्कता के दण्डात्मक दृष्टिकोण के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं।

वर्ष 1999–2000 में सतर्कता विभाग ने 'भामा ब्यूरो में भ्रष्टाचार की स्थिति पर एक महत्वपूर्ण पेपर' तैयार किया जिसमें ब्यूरो द्वारा अनुपालित शैक्षिक उपायों और सतर्कता विभाग द्वारा की गई कठोर दण्डात्मक कार्रवाई के दो तरफा प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई। इस पेपर पर ब्यूरो की कार्यकारिणी समिति की बैठक में विचार विमर्श किया गया जिसके परिणामस्वरूप कार्यकारिणी समिति के तीन सदस्यों का उप समूह गठित किया गया जिससे विभिन्न लाईसेंसधारियों/आवेदकों से सूचना प्राप्त हो सके और भामाब्यूरो में भष्ट्राचार के कारणों के बारे में अन्य निकायों से जानकारी प्राप्त हो ताकि ऐसे स्रोतों से प्राप्त अनुवर्ती कार्रवाई के अनुसार सुधार के लिए उपाय सुझाएं जा सकें।

निवारक सर्तकता गतिविधि के एक भाग के रूप में सतर्कता विभाग ने विभिन्न विभाग प्रमुखों को भिन्न–भिन्न मामलों के अध्ययन के आधार पर सुव्यवस्थित सुधार संबंधी विभिन्न सुझाव दिए। सतर्कता विभाग को भामा ब्यूरो के वर्ग "क" और "ख" ग्रेड के कर्मचारियों की चल ओर अचल सम्पत्तियों के बारे में और उनकी वार्षिक सम्पत्ति की जांच और परख करने का कार्य सौंपा गया है। वर्ष 1999–2000 के दौरान अचल सम्पत्ति अधिग्रहण के लिए 780 अनुमतियां मंजूर की गई, 1 018 मामलों में प्रशासन और स्थापना विभागों द्वारा पदोन्नति पर विचार करने और भामा ब्यूरो कर्मचारियों द्वारा बाहर के पदों के लिए आवेदन पत्रों को अग्रेषित करने के लिए अपेक्षित सर्तकता निकासी की मंजूरी दी गई। इसके अलावा इस वर्ष के दौरान सतर्कता विभाग ने प्राप्त शिकायतों में से 75% शिकायतों के बारे में ब्यौरे वार जाँच पड़तालों को अन्तिम रूप दिया ।

सतर्कता विभाग ने सतर्कता गतिविधि के महत्व के बारे में अधिकाधिक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सतर्कता कार्यशाला और संबंधित विषयों पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों के प्रमुखों ने भाग लिया। सतर्कता अधिकारियों ने नव नियुक्त भामा ब्यूरो के सहायक निदेशकों को भारतीय

VIGILANCE ACTIVITIES

Vigilance Department of the Bureau of Indian Standards functions with the objective of creating an environment so as to discourage corrupt practices amongst its employees. The Vigilance Department is headed by a Chief Vigilance Officer who operates in close coordination with other agencies such as the 'Central Vigilance Commission', the administrative 'Ministry of Consumer Affairs & Public Distribution', and the 'Department of Personnel & Training' under the Ministry of Home Affairs. The activities of Vigilance Department are organized in accordance with an Annual Action Plan. The main functions of this department revolve around the preventive, the detective and the punitive aspects of vigilance.

In the year 1999-2000, a 'Status Paper on Corruption in BIS' was prepared by the Vigilance Department in which the two pronged approach adopted by the Bureau through the educative measures and strict punitive actions taken by the Vigilance Department was elaborately discussed. Deliberations on this paper were held in the meeting of the Executive Committee (EC) which led to formulation of a Sub-group consisting of three EC members to get inputs from various licensees/applicants and other sectors to go into the causes of corruption in BIS and to suggest remedies based on the feedback received from such sources.

As a part of preventive vigilance activity, several suggestions for systemic improvements based on various case-studies have been given by Vigilance Department to various activity heads. The Vigilance Department is also entrusted with the work of scrutinising/examining the Annual Property Returns as well as final transactions in movable and immovable properties filed by the Group 'A' and 'B' employees of BIS. During the year 1999-2000, 780 permissions were granted for acquisition of immovable property. In 1 018 cases vigilance clearances were granted as requisitioned by the Administration and Establishment Departments for considering promotions and forwarding the applications of BIS employees for outside posts. Moreover, during this year 75 percent of the complaints received were finalized by the Vigilance Department after thorough and detailed investigations.

In order to create greater awareness about the importance of vigilance activity, vigilance workshops and programmes on the related subjects were organized by the Vigilance Department which were also attended by the heads of Regional and Branch Offices. Vigilance Officers addressed the newly recruited

मानक ब्यूरो में सतर्कता विभाग की भूमिका से परिचित किया। इसके अतिरिक्त (सी. ई.आर.पी.ए.) भामा ब्यूरो के ग्रेड "क" के 57 अधिकारियों को जाँच और प्रस्तुतिकरण अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अनुसंधान योजना और कार्य केन्द्र द्वारा भामा ब्यूरो के मानव संसाधन विभाग से सहयोग करके प्रशिक्षित किया। इतना ही नहीं इसके अलावा जैसा कि हमेशा यह महसूस किया जाता रहा है कि सतर्कता कर्मियों को सतर्कता तकनीक में हुए नवीनतम विकास के बारे में जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से वर्ष 1999–2000 में सतर्कता विषयों पर गहन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सतर्कता विभाग में कार्यरत अधिकारियों के साथ सतर्कता अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

Assistant Directors of BIS to acquaint them about the role of Vigilance Department in BIS. Further, 57 Group A Officers of BIS were trained to function as Investigating and Presenting Officers by the 'Centre for Research, Planning & Action' (CERPA) for which the training was organized by the Vigilance Department in coordination with the Human Resource Department of BIS. Moreover, as it has always been felt desirable to impart training to the vigilance personnel to acquire knowledge about the latest developments in vigilance techniques Several intensive training programmes in vigilance matters were attended by the Vigilance Officers including the Section Officer working in the Vigilance Department in the year 1999-2000.

सूचना सेवाएँ

तकनीकी सूचना सेवाएँ

उद्योगों, निर्यातकों, व्यक्तियों तथा सरकारी एजेंसियों को उनकी पूछताछों के उत्तर में तथा उन्हें मानकों, तकनीकी विनियमों तथा प्रमाणन पद्धतियों पर अद्यतन सूचना देने के लिए तकनीकी सूचना सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। इस प्रयास में वर्ष 1999–2000 के दौरान 5 000 से अधिक पूछताछों का उत्तर दिया गया।

डब्ल्यूटीओ / टीबीटी पूछताछ केन्द्र

डब्ल्यूटीओ / टीबीटी का राष्ट्रीय पूछताछ केन्द्र होने के कारण भामा ब्यूरो डब्ल्यूटीओ सचिवालय तथा अन्य डब्ल्यूटीओ सदस्यों से मानकों, तकनीकी विनियमों तथा अनुरूपता मूल्यांकन प्रक्रियाओं पर सूचना का आदान–प्रदान करता है। इस वर्ष के दौरान भामा ब्यूरो ने अन्य सदस्य देशों से 711 टीबीटी अधिसूचनाएँ प्राप्त कीं और उन्हें रूचि रखने वाले संबद्ध मंत्रालयों और राज्य सरकारों की एजेंसियों को परिचालित किया।

आईएसओनेट गतिविधियाँ

आईएसओ इंफोरमेशन कमेटी (इंफको) के अन्तर्गत कार्य करने वाले आईएसओनेट में भारतीय मानक ब्यूरो ने सक्रियता से भाग लिया। भारतीय मानक ब्यूरो ने नवम्बर 1999 में जिनेवा में आयोजित इंफको की बैठक में भी भाग लिया।

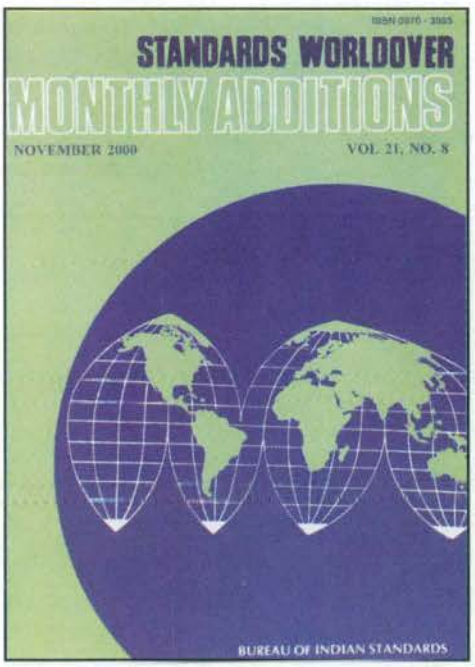

सूचना बुलेटिन

उपयोगकर्त्ताओं को मानकीकरण और गुणता पद्धतियों के क्षेत्र में हुए नवीनतम विकास की जानकारी देने के लिए भामा ब्यूरो निम्नलिखित सूचना बुलेटिन नियमित रूप से जारी करता है। (i) स्टैण्ड्र्डस इंडिया (मासिक, अंग्रेजी पत्रिका) (ii) स्टैण्ड्र्डस वर्ल्डओवर – मंथली एडीशन्स (iii) करन्ट पब्लिश्ड इंफोर्मेशन ऑन स्टैण्डर्डाइजेशन (मासिक) (iv) ईसी नॉर्म स्केन (ईसी के मानकीकरण समाचार) (त्रैमासिक) (v) स्टैण्ड्र्डस : मंथली एडीशन्स (vi) बीआईएस कैटलॉग (vii) मानकदूत (त्रैमासिक हिंदी पत्रिका) (viii) एडीशन्स टू लाइब्रेरी बुक्स एंड पैमफलैट्स

डाटाबेस सेवाएँ

भामा ब्यूरो ने बायर्स गाइड, उद्योगों को मानकों की संदर्भ सूची, निर्यातकों और मानक निर्धारण में लगी संस्थाओं और संठनों को डाटाबेस उपलब्ध कराना जारी रखा। वर्ष के दौरान 500 से अधिक ग्राहकों ने इन सेवाओं का उपयोग किया।

बायर्स गाइड

बायर्स गाइड भामा ब्यूरो प्रमाणन मुहर योजना के अन्तर्गत आने वाले उत्पादों का डाटाबेस है। इसमें लाइसेंसधारियों के नाम और पते, वैधता सहित आईएस संख्या, फर्म

INFORMATION SERVICES

Technical Information Services

Techincial Information Services are provided to industry, exporters, individuals and government agencies in response to their enquiries and also to keep them updated on information on standards, technical regulations and certification systems. In this endeavor, more than 5 000 enquiries were responded to during the year 1999-2000.

WTO/TBT Enquiry Point

Being the WTO/TBT National Enquiry Point, BIS exchanges information on standards, technical regulations and conformity assessment procedures with WTO Secretariat and other WTO members. BIS received 711 TBT notifications of other member countries during the year, which were circulated to the concerned interests including ministries and state government agencies.

ISONET Activities

BIS actively participates in the ISONET which functions under the ISO Information Committee (INFCO). BIS also participated in INFCO meeting held at Geneva in November 1999.

Information Bulletins

To keep the users abreast with the latest developments in standardization and quality systems, following information bulletins are brought out by BIS regularly: (i) Standards India (monthly, English journal), (ii) Standards Worldover-Monthly Additions, (iii) Current Published Information on Standardization (monthly), (iv) EC Norm Scan (Standardization News of EC) (quarterly), (v) Standards: Monthly Additions, (vi) BIS Catalogue, (vii) Manakdoot (quarterly Hindi Journal), and (viii) Additions to Library Books and Pamphlets.

Database Services

BIS continued to provide database on Buyers' Guide, Bibliography of Standards to the industry, exporters and to those engaged in standards formulation. These services were availed by more than 500 customers during the year.

Buyers' Guide

Buyers' Guide is a data base of products covered under Certification Marks Scheme of BIS and includes name and

की स्थिति आदि का उल्लेख होता है यह सूचना फ्लोपी डिस्कैट तथा हाईकापी दोनों पर उपलब्ध है।

संदर्भ सूची सेवा

भारतीय मानक ब्यूरो "मानक संदर्भिका" नामक डाटाबेस के माध्यम से विशिष्टि विषयों पर स्टैण्डर्डस वर्ल्ड ओवर की संदर्भ सूचियाँ उपलब्ध करा रहा है। इसमें 2 लाख रिकार्ड अंकित है। ग्राहकों को दक्ष सेवा उपलब्ध कराने के लिए पुराने हो चुके डॉस आधरित ग्रन्थ सूची डाटाबेस को अब यूजर फ्रेन्डली विन्डो आधारित सोफ्टवेयर में परिवर्तित कर दिया गया है।

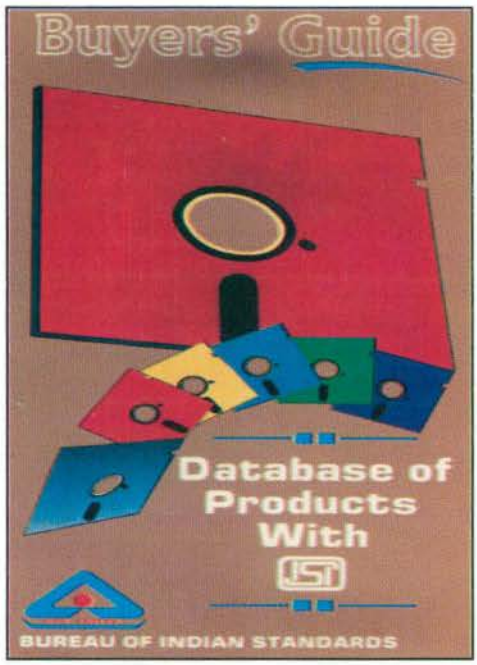

इशूअर आइडेंटीफिकेशन नंबर (आईआईएन)

भामा ब्यूरो ISO 7812 के अनुसार भारतीय बैंको/संगठनों के आवेदन पत्रों को अमेरिकन बैंकर्स एसोसियशन (एबीए) को प्रायोजित करके आईआईएन को जारी करने की सुविधा प्रदान करता है। 8 आवेदन पत्र प्रायोजित किए गए और वर्ष के दौरान स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, बैंक ऑफ ब्हरीन एंड कुबेत, द निडूनगड़ी बैंक लिमिटेड, एबीएन एमरो बैंक लिमिटेड, बैंक ऑफ अमेरिका, वैश्य बैक लिमिटेड और सैंच्युरियन बैंक को 8 आईआईएन जारी किए।

वर्ल्ड मैन्युफैक्चरर्स आईडेंटीफायर (डब्ल्यूएमआई) कोड

भामा ब्यूरो ने सोसायटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स (एसएई), यूएसए के साथ मिलकर आईएसओ 3780 के अनुसार भारम में मोटरवाहन निर्माताओं और निर्यातकों को डब्ल्यूएमआई कोड जारी करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। वर्ष के दौरान होण्डा मोटरसाइकिल और स्कूटर इंडिया प्रा० लि०, हुन्डई मोटर इंडिया लि० पाइआगियों ग्रीवस वेहिकल लि० और होण्डा सीएल कारस इण्डिया लि० सहित स्कूटरों, थ्रीव्हीलरों, यात्री कारों, बसों, ट्रकों के अग्रणी निर्माताओं को 7 डब्ल्यूएमआई कोड आबंटित किए गए।

इंटरनेट कनैक्शन का संस्थापन

अपने ग्राहकों को समयबद्ध और अधिक दक्ष सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए तकनीकी सूचना सेवा केन्द्र में अलग से एक इंटरनेट कनैक्शन का संस्थापन किया गया। अब तकनीकी पूछताछ, डब्ल्यूटीओं सदस्यों के साथ तकनीकी सूचनाओं का आदान–प्रदान शीघ्रता से ई-मेल के द्वारा किया जा रहा है। डब्ल्यूटीओ और टीबीटी की अधिसूचनाएँ तथा अन्य प्रलेख वैबसाइटों से सीधे ही डाउनलोड भी किए जा रहे हैं।

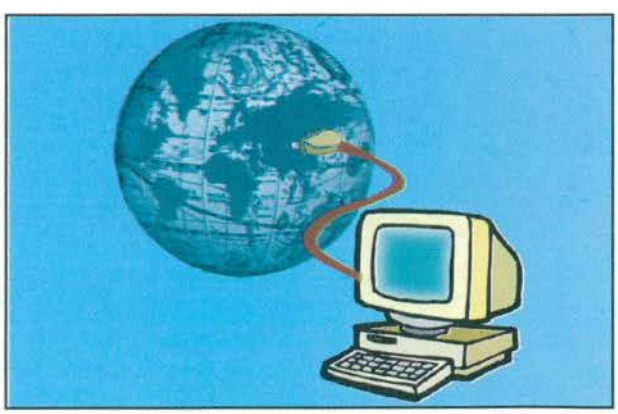

पुस्तकालय सेवाएँ

वर्ष के दौरान, मुख्यालय स्थित पुस्तकालय सेवा केन्द्र (एलएससी) तथा मुम्बई, कोलकाता, चण्डीगढ़ और चेन्नई स्थित अपने 4 क्षेत्रीय कार्यालयों में 12 000 पुस्तकों और मानकीकरण के काम में लगी विभिन्न सोसाइटियों और विदेशी एसोसिएशनों द्वारा जारी मानक और विदेशी मानक संगठनों द्वारा जारी मानक टाइप प्रलेखों और परीक्षणों को शामिल किया।

address of the licensee, IS No., licence No. with its validity, status of the firm, etc. The information is available both on floppy diskettes and hard copies.

Bibliographic Service

BIS has been providing bibliographies of standards worldover on specific subjects through its database entitled 'Manaksandarbhika'. It has more than 200 000 records. The outdated mainframe DOS-based Bibliographic data base has since been converted into user friendly Windows based software for providing more efficient service to the customers.

Issuer of Identification Number (IIN)

BIS facilitates the issue of IIN, as per ISO 7812, by sponsoring applications from Indian banks/organizations to the American Bankers Association (ABA). Eight applications were sponsored and eight IIN issued during the year to State Bank of Bikaner and Jaipur, Hindustan Petroleum Corporation Ltd, Bank of Baharin & Kuwait, The Nedungadi Bank Ltd, ABN AMRO Ltd, Bank of America, Vysya Bank Ltd, and Centurion Bank.

World Manufacturer Identifier (WMI) Code

In coordination with Society of Automotive Engineers (SAE), USA, BIS fulfills the responsibility of issuing of WMI codes as per ISO 3780 to the automobile manufacturers and exporters in India. Seven WMI codes were allotted during the year for scooters, three wheelers, passenger cars, buses, trucks, etc, to leading manufacturers including Honda Motorcycle and Scooter India Pvt Ltd, Hyundai Motor India Ltd, Piaggio Greaves Vehicle Ltd and Honda Siel Cars India Ltd.

Installation of Internet Connection

In an effort to provide timely and more efficient service to its customers, an exclusive internet connection has been installed in Technical Information Services Centre. Technical enquiries, exchange of technical information with WTO members are now being promptly done through E-mail. WTO/TBT Notifications and other documents are also being downloaded directly from Websites.

Library Services

During the year, Library Services Centre (LSC), at the Headquarters and also at its four Regional Offices at Mumbai, Calcutta, Chandigarh and Chennai added to its collection more than 12 000 books, standards type documents issued by overseas standard bodies as well as publications and standards issued by various learned societies and foreign associations engaged in the work of standardization.

कंप्यूटर केन्द्र द्वारा रखे गए मानक संदर्भिका नामक विश्व मानकों के यंत्रीकृत डाटाबेस को अद्यतन बनाने के लिए पुस्तकालय ने आधारभूत सूचना प्रदान करना जारी रखा। प्राप्त सभी मानकों को डाटाबेस में डालने के लिए कोडीकृत किया गया। इस डाटाबेस में अब 3 लाख रिकार्ड है।

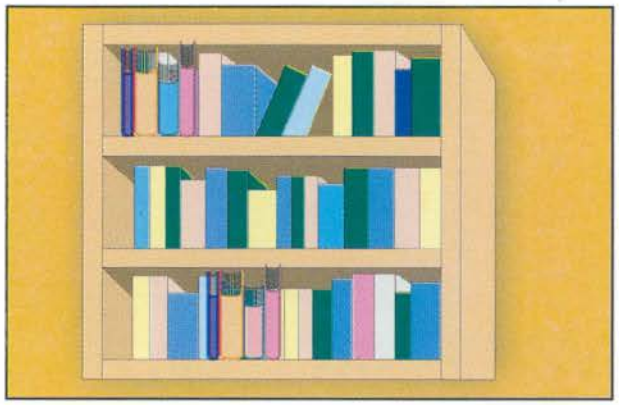

विभिन्न श्रेणियों के वर्तमान सदस्यों के रूप में 1 400 व्यक्ति तथा संगठन पुस्तकालय के सदस्य है। इनमें से वर्ष के दौरान 140 नये सदस्य बने। लगभग 36 413 प्रकाशन/मानक व्यापार और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और ब्यूरो के अधिकारियों तथा स्टाफ को जारी किये गये या पढ़े गए।

7 433 पाठकों को 6 विस्तृत संदर्भ सूचियाँ तैयार करके और उनकी रूचि की संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराके संदर्भ सेवाएँ उपलब्ध कराई गईं। संदर्भ सेवा इकाई ने हाथ से बनाई गई ग्रन्थ सूचियां उपलब्ध कराके मानक निर्धारण विभागों की भरपूर सहायता की। भारतीय व्यापार और उद्योगों के प्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त छोटे और बड़े 6 460 प्रश्नों सबंधी जानकारी उन्हें उपलब्ध कराई।

भारतीय सूचना सेवा केन्द्र ने आईएसओं द्वारा तैयार किए गए मानकों हेतु अन्तर्राष्ट्रीय वर्गीकरण आईसीएस के अनुसार भारतीय मानकों के मसौदे को कोडीकृत करने में अपनी सेवाएँ प्रदान कीं। वर्ष के दौरान 672 मसौदों को कोडीकृत किया गया।

पुस्तकालय में लगभग 430 आवधिक पत्रिकाएं मंगाई गयीं। इनके नवीनतम अंकों को नियमित रूप से संबद्ध विभागों में परिचालित किया गया, जिससे अधिकारियों को वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहे नवीनतम विकास की जानकारी मिल सके।

The Library continued to supply basic information for the updation of mechanized data base of World Standards called Manak Sandarbhika maintained by Computer Centre. All the standards received here were codified for inputing in the data base which now comprises above 3 lakh records.

The library has 1 400 individuals and organizations as current members in various categories. Out of this 140 members have joined during this year. About 36 413 publications/standards were consulted or issued to the representatives of trade and industry as well as officers and staff of the Bureau.

Reference services were provided to 7 433 visitors by way of preparing 6 exhaustive subject bibliographies and making available the reference materials of their choice. The reference unit fully supported the standard making departments by providing the bibliographies prepared manually. It assisted the Indian Trade and Industry by answering 6 460 long and short range queries received from them.

Library Services Centre also provided its service for codifying draft Indian Standards as per International Classification for Standards (ICS) propounded by ISO. During the year, 672 drafts were codified.

Library received around 430 periodicals, current issues of which are regularly circulated to the concerned departments to keep the officers abreast of the latest developments in science and technology.

प्रशिक्षण सेवाएँ

प्रशिक्षण संस्थान

भारतीय मानक ब्यूरो ने उद्योग, सरकार और सेवा सैक्टरो की प्रशिक्षण आवश्यकता की पूर्ति के लिए वर्ष 1995 में मानकीकरण एवं गुणता प्रबन्ध में राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान (एनआईटीएसक्यूएम) की स्थापना की। संस्था पिछले दो वर्षों से लाभप्रद केन्द्र की तरह काम कर रही है और गुणता संबंधी पाठ्यक्रमों में सभी प्रशिक्षण देने वालों के बीच काफी प्रसिद्ध हो रही है। वर्ष 1999–2000 के दौरान संस्थान ने 63 प्रशिक्षण कार्यक्रम महत्वपूर्ण विषयों पर आयोजित किए गए जिससे 1 305 सहभागियों ने लाभ प्राप्त किया। आईएसओ 9000 जागरूकता और लीड ऑडिटर पाठ्यक्रम, आईएसओ 14000 जागरूकता और लीड ऑडिटर पाठ्यक्रम, आईएसओ 9000 के लिए सांख्यिकी तकनीकें, एचएसीसीपी कार्यक्रम, प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन, एम आर निपुणताओं में वृद्धि और आतंरिक गुणता ऑडिट निपुणता में वृद्धि (आईएसओ 9000) आदि।

विदेशी सहभागियों के लिए प्रशिक्षण

हर वर्ष की तरह एन आई टी एस क्यू एम ने 20 अक्तूबर से 17 दिसंबर 1999 तक एशिया, अफ्रिका, यूरोप और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों के लिए मानकीकरण और गुणता पद्धति पर बत्तीसवां अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में 11 देशों के 23 सहभागियों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम वर्ष 1968 से प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जा रहा है। अभी तक इस प्रकार के 32 कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं और 70 विकासशील देशों के कुल 663 प्रतिनिधियों को इस कार्यक्रम का लाभ प्राप्त हो चुका है।

TRAINING SERVICES

Training Institute

Bureau of Indian Standards had set up National Institute of Training for Standardization and Quality Management (NITSQM) in the year 1995 to meet the training needs of Industry, Government and Service Sector. The institute is functioning as a profit centre for the last two years and has carved out a niche amongst all the training providers in quality related courses. During the year 1999-2000, the Institute has organized 63 training programmes through which 1 305 participants have got benefited. The training programmes were organized on important topics like ISO 9000 Awareness and lead auditors course, ISO 14000 Awareness and Lead Auditors Course, statistical techniques for ISO 9000, HACCP programme, accreditation of laboratories, enhancing MR skills and internal quality audit skill enhancement (ISO 9000), etc.

Training to Overseas Participants

Like every year, NITSQM organized the thirty-second International Training Programme on Standardization and Quality Systems from 20 October to 17 December 1999 for the developing countries of Asia, Africa, Europe and Latin America. 23 participants representing 11 countries attended the programme. The programme has been organized every year since 1968. So far, 32 such programmes have been organized and a total number of 663 nominees from 70 developing countries have taken advantage of this programme.

भामा ब्यूरो लाइसेंस धारियों/आवेदकों के लिए उत्पाद परीक्षण में प्रशिक्षण कार्यक्रम

भामा ब्यूरो की प्रयोगशालाएँ प्रत्येक वर्ष उद्योगों की सेवा के उद्देश्य से विशेष कर अपने लाइसेंसधारियों/आवेदकों के परीक्षण कार्मिकों के लिए विभिन्न उत्पादों के परीक्षण में प्रवीणता प्रदान करने के लिए अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। वर्ष 1999–2000 के दौरान केन्द्रीय प्रयोगशाला साहिबाबाद द्वारा इस प्रकार के 12 प्रशिक्षण कार्यक्रम–एलपीजी स्टोव परीक्षण विद्युत इस्तरियाँ, निमज्जन हीटरों, पैराफिन मोम और ब्लीचिंग पाउडर/कलोरीन टिकिया पर आयोजित किए। पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई द्वारा एचडी केबल एचडी केबल और घेरलू एल पी जी स्टोव पर, पूर्वी क्षेत्रीय प्रयोगशाला कोलकाता द्वारा पैराफिन मोम और केबल और चालक पर दक्षिण क्षेत्रीय प्रयोगशाला चेन्नई द्वारा सूती बनियानें और एलपीजी स्टोव पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय प्रयोगशाला, साहिबाबाद ने खाद्य वस्तुओं और पैकेजबंदी के लिए आठ सप्ताह का ग्रीष्म प्रशिक्षण आयोजित किया जिसमें दिल्ली भास्कर चार्य अनुप्रयुक्त विज्ञान कालेज के तीन और अनुप्रयुक्त विज्ञान महिला कालेज के दो विद्यार्थियों ने भाग लिया।

Training Programmes in Product Testing for BIS Licensees/Applicants

Every year BIS laboratories, as a service to the industry, especially its licensees and applicants, organize short term training programmes to impart proficiency in testing of various products to their testing personnel. During year 1999-2000, twelve such programmes were organized on testing of LPG stove, electric iron, immersion heater, paraffin wax and bleaching powder/ chlorine tablets by Central Laboratory, Sahibabad; HD Cable and Domestic LPG stove by Western Regional Laboratory, Mumbai; paraffin wax and cable and Conductor by Eastern Regional Laboratory, Calcutta; cotton vests and LPG stoves by Southern Regional Laboratory, Chennai.

Besides, Central Laboratory, Sahibabad also accepted two students from College of Applied Sciences for Women, Delhi and three students from Bhaskara Charya College of Applied Science, Delhi for eight-week summer training in testing of food items and packaging.

उपभोक्ता संबंधी गतिविधियाँ

भामा ब्यूरो ने अपनी गतिविधियों के संबंध में उपभोक्ता जागरूकता को प्रोत्साहन देने के लिए उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए ओर अपने क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ता संगठनो द्वारा आयोजित संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/ सम्मेलनों और प्रदर्शनियों में भाग लिया। इन कार्यक्रमें के दौरान सहभागियों को विभिन्न गुणता नियंत्रण आदेशों, भामा ब्यूरो मानक चिह्न के दुरूपयोग पर जुर्माना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रक्रिया इत्यादि के बारे में जानकारी दी गई।

उपभोक्ता दिवस

15 मार्च 2000 को विश्व उपभोक्ता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय राज्य मन्त्री, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण, श्री वी श्रीनिवास प्रसाद के कर कमलों से सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर "गुणता और मानक–उपभोक्ता जागरूकता" विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार और भामा ब्यूरो ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में 100 से अधिक सहभागियों ने भाग लिया।

साहित्य

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा उपभोक्ताओं के हित में ग्यारह स्मारिकाओं का अनुवाद और प्रकाशन विभिन्न भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं जैसे असमी, गुजराती, मराठी और पंजाबी भाषाओं में किया गया।

जन शिकायतें

भामा ब्यूरो प्रमाणित उत्पादों के संबंध में उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों को हर महीने तेजी से निपटारा करने के लिए पुर्नविचार किया जाता है और उनकी मॉनीटरी की जाती

CONSUMER RELATED ACTIVITIES

BIS promoted consumer awareness regarding BIS activities by conducting consumer awareness programmes and by participation in seminars/workshops/conferences and exhibitions organized by consumer organizations through its network of regional and branch offices. During these programmes, participants were informed about various Quality Control Orders, penalties for misuse of BIS Standard Mark, *Consumer Protection Act*, consumer grievances redressal mechanism, etc.

Consumer's Day

The World Consumer's Day was celebrated on 15 March 2000. The programme was inaugrated by Hon'ble Minister of State for Consumer Affairs & Public Distribution, Shri V. Sreenivasa Prasad. On the occasion, a seminar on the theme 'Quality and Standards Consumer Awareness' was organized jointly by the Department of Consumer Affairs, Government of India and BIS. The programme was attended by over 100 participants.

Literature

Eleven brochures on the subjects of consumer interest published by BIS have been translated and printed in different regional languages such as Assamese, Gujarati, Marathi and Punjabi languages.

Public Grievances

Complaints regarding BIS certified products received from consumers are being reviewed and monitored every month to provide speedy

है। शिकायतों की लगातार मानीटरी करने से 31 मार्च 2000 तक लंबित शिकयतों की संख्या पिछले–वर्ष की संख्या 32 से गिरकर 25 तक आ गयी (*देखें* आकृति 5) भामा ब्यूरो प्रमाणित उत्पादों के अलावा अन्य जन शिकायतों के संबंध में कुछ छुटपुट मामले ही ऐसे थे जिनका निवारण अधिकतर मौखिक और तुरंत सुनवाई करके किया जाता है।

redressal to the complainants. With constant monitoring, the number of pending complaints as on 31 March 2000 has been brought down to 25 as against 32 pending last year (*see* Fig. 5). Regarding public grievances other than those related to BIS certified products, there were only stray cases, mostly in verbal and immediate actions were taken for redressal of the same.

आन्तरिक शिकायतें

विभिन्न भामा ब्यूरो कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों की तेजी से सुनवाई के लिए हर महीने उनपर पुनंविचार किया जाता है। इन शिकायतों की लगातार मॉनिटरी से लंबित शिकायतों की संख्या 31 मार्च 1999 को 8 के एवज में 31 मार्च 2000 को 7 तक आ गई।

Internal Grievances

Grievances received from different BIS employees are being reviewed every month to provide speedy redressal to the grievances. With constant monitoring the number of pending complaints as on 31 March 2000 has been brought down to 7 as against 8 pending as on 31 March 1999.

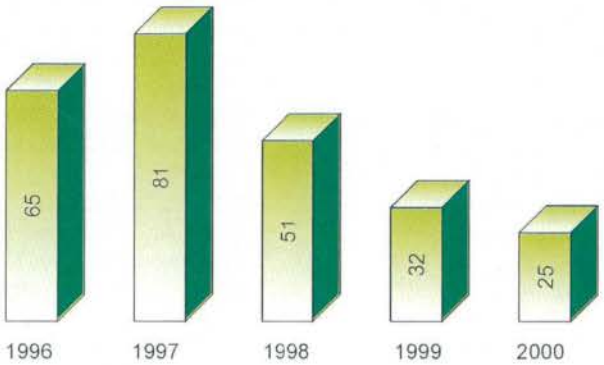

आकृति 5 लंबित शिकायतों की संख्या (31 मार्च को)

Fig. 5 Number of Complaints Pending (as on 31 March)

अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ

ब्यूरो ने अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन और अन्तर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग की प्रशासनिक और चुनिन्दा तकनीकी समितियों में भाग लेने के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना जारी रखा। भारत ने भामा ब्यूरो के माध्यम से सार्क क्षेत्र में अपनी सहभागिता जारी रखी और अन्य देशों के साथ भी द्विपक्षीय संबंध बनाये रखने के प्रयास जारी रखे।

INTERNATIONAL ACTIVITIES

The Bureau continued its active involvement in the international standardization activities by participating in the administrative and selected technical committees of the International Organization for Standardization (ISO) and International Electrotechnical Commission (IEC). India, through BIS, continued to take leading part in the SAARC region and also continued its efforts towards reinforcing bilateral relations with other countries.

अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ)

विकासशील देशों के लिए (डेबको), महा सभा और परिषद् की आईएसओं की बैठकें विजिंग चीन में 18 से 23 अक्तूबर के दौरान सम्पन्न हुई। श्री पी. एस. दास, महानिदेशक, भामा ब्यूरो के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल ने बैठक में भाग लिया। इन बैठकों के दौरान भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने विभिन्न मामलों से संबंधित पर्यालोचनों में सक्रिय रूप से भाग लिया जिसके परिणाम स्वरूप निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:

- राष्ट्रीय मानक निकाय की अपने देश के व्यापार समझौता दल में सहभागिता होगी।
- आईएसओ, सेवा सैक्टरों के विस्तृत क्षेत्र के लिए मानकों के सृजन में पहल करेगी।
- प्रमाणन निकायों के प्रत्यागन के लिए आईएसओ/आईईसी मार्गदर्शिकाएं ही आधार होगी।

International Organization for Standardization (ISO)

Meetings of ISO Committee on Developing Country Matters (DEVCO), General Assembly and Council were held in Beijing, China from 18 to 23 October 1999. A delegation led by Shri P. S. Das, Director General, BIS attended the meeting. During these meetings, the Indian delegation took an active part in deliberations concerning various issues which led to the following important decisions:

- National Standards Bodies to be part of the trade negotiating teams in their respective countries.
- ISO taking initiative for creating standards for a wide range of service sectors.
- ISO/IEC Guides to be the basis for accreditation of certification bodies.

अन्तर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग (आईईसी)

ब्यूरो आईईसी की विभिन्न तकनीकी समितियों और उप–समितियों की बैठकों में भाग लेता आ रहा है।

ब्यूरो ने आईईसी परिषद् बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व किया। आईईसी परिषद् बोर्ड वह निकाय है जो आईईसी परिषद् की नीतियों का कार्यान्वयन करता है और नीति संबंधी सिफारिश करता है। परिषद् बोर्ड एक निर्णय लेने वाला निकाय है जो कार्यसूची को पृष्ठांकित करता है और परिषद् और समिति की कार्रवाई के

International Electrotechnical Commission (IEC)

The Bureau has been attending meetings of the various Technical Committees and Sub-committees of IEC.

Bureau also represents India on the IEC Council Board. IECCB is the body that implements the IEC Council Policy and makes policy recommendations to it. The CB is a decision making body which also endorses the agendas and

लिए दस्तावेज भी तैयार करता है। आईईसी परिषद् की 63वीं बैठक 28 अक्तूबर 1999 को क्योटो, जापान में संपन्न हुई, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व एक प्रतिनिधिमण्डल द्वारा किया गया जिसके प्रमुख श्री पी.एस. दास, महानिदेशक, भामा ब्यूरो थे। बैठक में विभिन्न मामलों पर चर्चा की गई और निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

- आईईसी के बदलते बाजार के संदर्भ में उद्योगों की भागीदारी और अनुरूपता के लिए मूल्यांकन और प्रमाणन कार्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों के अनुसार मुख्य योजना का नया संस्करण बनाना।
- चुम्बकीय क्षेत्र में मनुष्य के अनावरण से संबंधित नये क्षेत्र की तकनीकी गतिविधि का अनुमोदन।
- अनुरूपता मूल्यांकन बोर्ड (सी.ए.बी.) की बैठक में प्रेक्षकों को भेजने के लिए नियमों में परिवर्तन कराना ताकि उनको अनुरूपता मूल्यांकन में विचार विमर्श का पहला अनुभव प्राप्त हो सके और निष्पक्ष उपस्थिति विस्तृत हो सके।
- सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग द्वारा अत्यावश्यक बहुसंचार माध्यमों (ओपीआईएमए) तक पहुँच के लिए खुले मंच की पहल पर पहला उद्योग तकनीकी (आईटीए) करार किया गया।
- तकनीकी अधिकारियों के लिए इलेक्ट्रॉनिकी प्रारूप में मूलभूत दस्तावेजों की उपलब्धता।
- विद्युत तकनीकी उद्योग के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नीतिगत रूप में और विश्व व्यापार को सुविधा पूर्ण बनाने के लिए योगदान देना ताकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सरल हो सके और बिना अवरोधों के चल सके।
- ऐसी परियोजना का प्रारंभ करना जो आईएसओ की अनुरूपता मूल्यांकन समिति (सीएएससीओ) में अन्तर्राष्ट्रीय मानक का विकास कर सके अथवा समकक्ष मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शन दे सके।

इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण कार्य में भारतीय विद्युत इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्यागिकी उद्योगों की भागीदारी को बढ़ाने और अन्तर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग (आईईसी) से संबंधित नीतिगत विषयों पर चर्चा के लिए एक मंच का प्रबंध करने का निर्णय लिया गया। अन्तर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग की भारतीय राष्ट्रीय समिति के नाम से एक समिति का औपचारिक रूप से गठन किया गया।

उपरोक्त बैठकों के अलावा, ब्यूरो के विभिन्न प्रतिनिधि मण्डलों ने रैमको, आईईसी, सीएमसी और आईईसीईई, आईएनएफसीओ, कोडेक्स आदि की विभिन्न समितियों की बैठकों में समय-समय पर उपस्थित होकर विकासशील देशों के दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करने के लिए भाग लिया।

क्षेत्रीय संपर्क अधिकारियों की बैठक

आईएसओं की क्षेत्रीय संपर्क अधिकारियों की बैठक दिनांक 17 अक्तूबर 1999 को बीजिंग, चीन में सम्पन्न हुई बैठक के दौरान श्री पी.एस. दास, महानिदेशक, भामा ब्यूरो ने दक्षिण और मध्य एशिया क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय संपर्क अधिकारी के रूप में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होनें विकासशील देशों के सामने आ रही विभिन्न समस्याओं के बारे में जानकारी दी जैसे: आईएसओं मानक समिति बैठकों में विकासशील देशों की सहभागिता, प्रत्यायन निकायों की स्थापना, प्रमाणित संदर्भ सामग्रियों की उपलब्धता (सीआरएमएस), विकासशील देशों द्वारा आवश्यक अन्तर्राष्ट्रीय मानकों का विकास, और मानक निर्धारण गतिविधियों में सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाना। इस आधार पर निवेश का प्रबन्ध करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि आईएसओं परिषद् में कार्यकारी समूह बनाए जाएं ताकि विकासशील देशों की सहभागिता को बढ़ाने के लिए संभावनाएँ मालूम हो सके।

prepares documents for Council and Committee of Action. The sixty-third IEC Council Meeting was held on 28 October 1999 in Kyoto, Japan. India was represented by a delegation headed by Shri P. S. Das, DG, BIS. Various issues were discussed and following decisions were taken:

- New edition of Master Plan to address issues related to changing market perceptions of the IEC, Industry involvement and conformity assessment and certification programme.
- Approval of a new field of technical activity dealing with magnetic fields associated with human exposure.
- Rules to be modified for allowing observers to attend the Conformity Assessment Board (CAB) meeting to provide an opportunity to enlarge an open attendance for having first-hand experience of discussions on conformity assessment.
- The Development of first Industry Technical Agreement (ITA) on Open Platform Initiative for Multimedia Access (OPIMA) very much needed by IT industry.
- Availability of basic documents in electronic format for technical officers.
- IEC emerging as a facilitator of global trade and strategic contributor to the goals of electrotechnical industry to make international trade simple and without barriers.
- Initiation of a project within Conformity Assessment Committee (CASCO) of ISO to develop an international standard or guide on peer assessment.

Additionally, to increase the involvement of Indian electrical, electronics and information technology industries in the International Standardization work and to provide a national forum to discuss and decide the policy matters concerning International Electrotechnical Commission (IEC), a Committee, namely, Indian National Committee of International Electrotechnical Commission has formally been constituted.

Besides the above meetings, several delegations from the Bureau also attended the various Committee Meetings like REMCO, IEC CMC & IECEE, INFCO, Codex, etc, from time to time and presented the views of the developing countries.

RLOs Meeting

Meeting of Regional Liaison Officers (RLOs) of ISO held on 17 October 1999 in Beijing, China. During the meeting Shri P. S. Das, DG, BIS presented his report as RLO for South and Central Asia Region. He touched upon the various problems being faced by the developing countries such as, participation of developing countries in ISO Standards Committee Meetings, setting up of accreditation bodies, procurement of Certified Reference Materials (CRMs), development of International Standards needed by developing countries and adoption of Information Technology in standards formulation activity. Based on the inputs provided, it was decided to form a Working Group to further explore ways of increasing the participation of developing countries in ISO Council.

दक्षिण और मध्य एशिया क्षेत्र के लिए आईएसओ के क्षेत्रीय संपर्क अधिकारी (आरएलओ) के रूप में श्री पी.एस. दास, महानिदेशक, भामा ब्यूरो ने श्रीलंका मानक संस्थान कोलम्बों का दौरा किया। बंगलादेश, भारत, ईरान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, उजबेकिस्तान, कजाकिस्तान, नेपाल और तुर्कमिनिस्तान इस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इस दौरे का उद्देश्य इन देशों को अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण गतिविधियों में भाग लेने के लिए उत्साहित करना ताकि वे विकासशील देशों के सामने आ रही कठिनाइयों के बारे में आईएसओ को जानकारी दे सके। इस दौरे का उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर और अधिक सहयोग के लिए और उपायों और संभावनाओं की खोज करना भी था।

सार्क (एस.ए.ए.आर.सी.) सहयोग कार्यक्रम

मानकीकरण के क्षेत्रीय दृष्टिकोण की प्रशाखा के रूप में दिनांक 9 और 10 दिसंबर 1997 को नई दिल्ली में एक कार्यशाला आयोजित की गयी। बैठक में मानक, गुणता नियंत्रण और मापन से संबंधित स्थायी समूह की बैठक करने का निर्णय लिया गया। इस स्थायी समूह के विशेषज्ञों की पहली बैठक 20 और 30 जून 1999 को नई दिल्ली मे संपन्न हुई। भारत के अलावा इस बैठक में बंगलादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका ने भाग लिया।

इस कार्यकारी समूह के गठन का उद्देश्य सार्क क्षेत्र में मानकों की सामंजस्यता करना है। इस स्थायी समूह की प्रमुख सिफारिश दक्षिण एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय कार्य योजना का निर्धारण करना है, जिसे विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों में प्रस्तुत किया जाना है। बैठक का दूसरा महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह था कि भारत अगले तीन वर्षो तक के लिए क्षेत्रीय कार्य योजना को संभव करने और उसकी मॉनीटरी के लिए एक समन्वयक के रूप में कार्य करेगा।

द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रम

ब्यूरों ने सहयोग कार्यक्रमों वाले देशों के साथ अपने संबंध मजबूत रखे और सहयोग के नये क्षेत्रों को बनाने के प्रयास जारी रखे ब्यूरो में मास्को और तनजानिया के प्रतिनिधिमण्डल का आगमन भी हुआ था।

भामा ब्यूरो में आईएसओ अध्यक्ष का दौरा

प्रो. जी. इलियास, अध्यक्ष, अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आई एस ओ) ने दिनांक 15 मार्च 2000 को भा मा ब्यूरो का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने मा0 श्री शान्ता कुमार, केन्द्रीय मंत्री, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण, श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद राज्य मंत्री, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण और श्री के श्रीनिवासन सचिव भारत सरकार उपभोक्ता मामले विभाग से मुलाकात की।

माननीय श्री शान्ता कुमार जी के साथ बातचीत में प्रो0 इलियास ने आई एस ओ की भूमिका और विकासशील देशों के लिए अपने संबंध के बारे में विशिष्टिता बतायी। उन्होंने भारत के आईएसओ के संस्थापक सदस्य के रूप में सक्रीय योगदान की और भा मा ब्यूरो द्वारा आई एस ओ की विभिन्न नीति समितियों में भारतीय सदस्य निकाय के प्रतिनिधित्व के रूप में अदा की गई भूमिका की सराहना की । उन्होंने भा मा ब्यूरो के महानिदेशक द्वारा आई एस ओ के दक्षिण और मध्य एशिया क्षेत्रीय संपर्क अधिकारी के रूप में लिए गए कार्य की भी विशिष्टिता बतायी उन्होंने माननीय श्री श्रीनिवास प्रसाद, राज्य मंत्री, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण और बैठक के सरकारी अधिकारियों से भी मिले। बैठको के दौरान उन्होने यह सूचित किया कि, पिछले दिनों विकासशील देशों के मामले (डेवको) समिति के अध्यक्ष और आई एस ओ अध्यक्ष ने भारत द्वारा किए गए योगदान को अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण समुदाय ने मान्यता दी है। उन्होंने भा0 मा0 ब्यूरो का भी दौरा किया और वरिष्ठ अधिकारियों को भी संबोधित किया।

As a Regional Liaison Officer (RLO) of ISO for South and Central Asia Region, Shri P. S. Das, DG, BIS visited Sri Lanka Standards Institution, Colombo, Sri Lanka. Bangladesh, India, Iran, Kyrgzstan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Turkmenistan and Uzbekistan are covered under the region. The objective of the visit was to encourage countries to take part in international standardization activities and bring the problems faced by developing countries to the knowledge of ISO. During the visit, he also explored ways and means for furtherance of cooperation at regional level.

SAARC Cooperation Programme

As the offshoot of the Regional Approach to Standardization Workshop held on 9 and 10 December 1997 in New Delhi, it was decided to hold the meeting of Standing Group on Standards, Quality Control and Measurement. The First Meeting of this Standing Group of Experts was held on 29 and 30 June 1999 in New Delhi. Besides India, Bangladesh, Bhutan, Nepal and Sri Lanka participated in this meeting.

The objective of setting up of this Working Group is harmonization of standards within the SAARC region. The major recommendation of this Standing Group is formulation of a Regional Action Plan of the South Asia region to be presented in the various international fora. Other important outcome of the meeting was that India would act as the coordinator for the next three years to monitor and facilitate the Regional Action Plan.

Bilateral Cooperation Programmes

The Bureau continued to strengthen its relations with the countries having cooperation programmes and strive to form some new areas of cooperation. There were delegations from Moscow and Tanzania.

Visit of ISO President to BIS

Prof G. Elias, President, International Organization for Standardization (ISO) visited BIS on 15th March 2000. During the visit he called on Hon'ble Shri Shanta Kumar, Union Minister for Consumer Affairs and Public Distribution, Hon'ble Shri V. Sreenivasa Prasad, Minister of State for Consumer Affairs and Public Distribution and Shri K Srinivasan, Secretary, Department of Consumer Affairs, Government of India.

During the discussions with Hon'ble Shri Shanta Kumar, Prof Elias highlighted the role of ISO and his concern for developing countries. He appreciated the active involvement of India as a founder member of ISO and the role played by BIS, as a representative of India member body in various policy committees of ISO. He also highlighted the role played by Director General, BIS as Regional Liaison Officer of ISO for South and Central Asia. He also called on Hon'ble Shri Sreenivasa Prasad, Minister of State for Consumer Affairs and Public Distribution and met senior Government officials. During the meetings, he informed that the international standardization community recognized the important contribution made by India by providing ISO Presidents, Vice Presidents and Chairman of the Committee for Developing Country Matters (DEVCO) in the past. He also visited BIS and addressed the senior officers of the Bureau.

श्रीलंका मानक संस्थान के महानिदेशक का भामा ब्यूरो में दौरा

श्री सी.डी.आर.ए. जयवर्धने, महानिदेशक श्री लंका मानक संस्थान (एस एल एस आई) दिनांक 2 फरवरी 2000 को ब्यूरो में आए, और उन्होंने परस्पर दोनों देशों के बीच चल रही योजना के अन्तर्गत उत्तरदायित्वों की भागीदारी की संभावनाओं पर विचार किया।

Visit of DG, Sri Lanka Standards Institution to BIS

Shri C.D.R.A. Jayawardene, Director General, Sri Lanka Standards Institution (SLSI) called on BIS on 2 February 2000 to explore the possibility of sharing responsibilities under each other's conformity assessment scheme.

मानव ससाधन विकास

31 मार्च 2000 को कुल 2 219 व्यक्ति भा मा ब्यूरो में नियोजित थे। 1999–2000 के दौरान भा मा ब्यूरो की विभिन्न गतिविधियों में लगे कर्मचारी इस प्रकार है:

गतिविधि	31 मार्च 2000 को नियोजित कर्मचारी
कारपोरेट	48
मानक निर्धारण	241
प्रमाणन	1235
प्रयोगशालाएँ	234
तकनीकी सहायी सेवाएँ	184
प्रशासन एवं वित्त	277
योग	2219

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

As on 31 March 2000, a total of 2 219 persons were on roll in BIS. The deployment of personnel in the various functions of BIS during 1999-2000 is given below:

Activity	Deployment of Personnel as on 31 March 2000
Corporate	48
Standards Formulation	241
Certification	1235
Laboratories	234
Technical Support Services	184
Administration and Finance	277
Total	2219

अनुसूचित जातियों / जनजातियों / पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व

समूह	31 मार्च 1999 को अनुसूचित जातियों / जनजातियो / पिछडी जातियों के कर्मचारियों की संख्या	31 मार्च 2000 को अनुसूचित जातियों / जनजातियो / पिछडी जातियों के कर्मचारियों की संख्या
क	80	80
ख	77	80
ग	124	129
घ	162	159
योग	443	448

SC/ST/OBC REPRESENTATION

Group	No. of SC/ST/OBC Personnel as on 31 March 1999	No. of SC/ST/OBC Personnel as on 31 March 2000
A	80	80
B	77	80
C	124	129
D	162	159
Total	443	448

कर्मचारी कल्याण

भा मा ब्यूरो द्वारा अपनाए एग अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए किए गए उपाय, जैसे समूह बीमा योजना, स्टाफ के लिए आवास तथा अवकाश गृह जारी रहे। इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में शिमला में और राजस्थान में माउंट आबू में स्थित भा मा ब्यूरो के अवकाश गृहों के लिए और एक वर्ष का अनुबंध किया गया और गोआ में एक अन्य अवकाश गृह स्थापित करने के लिए औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है और आशा है यह 1 सितम्बर 2000 से आरंभ हो जाएगा।

Staff Welfare

Welfare measures adopted by BIS for its employees such as Group Insurance Scheme and Holiday Homes were continued. This year agreement in respect of BIS holiday homes at Shimla in Himachal Pradesh and Mount Abu in Rajasthan has been done for another one year and formalities of setting up another holiday home at Goa are almost completed and it is likely to start from 1 September 2000.

भा मा ब्यूरो कार्मिकों का प्रशिक्षण

भा मा ब्यूरों ने मानव संसाधन विकास के अपने प्रयास जारी रखे । अपने मानव संसाधन विकास के प्रयास के रूप में भा मा ब्यूरो के कार्मिकों को संस्थागत प्रशिक्षण का कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें विभिन्न एजेसिंयों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी भेजा जाता है।

संस्थागत प्रशिक्षण

वर्ष 1999–2000 के दौरान 6 विभिन्न क्षेत्रों में 705 कर्मिकों को 3 210 कार्य दिवसों में 65 संस्थागत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। आयोजित प्रशिक्षण के कुछ प्रमुख क्षेत्र है– विंडो 98 तथा एमएस आफिस 97 पर कम्प्यूटर प्रशिक्षण, कार्य स्थल पर यौन उत्पीडन, प्रस्तोता और जाँचकर्त्ता अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण आदि।

बाहरी एजेंसियों द्वारा प्रशिक्षण

प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ इन विशिष्ट कार्यक्रमों में भा मा ब्यूरो के अधिकारियों और कर्मचारियों को भेजने के द्वारा निरंतर उठाया जाता है। वर्ष के दौरान 64 कर्मचारी 30 विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भेजे गए जिसमें 226 कार्य दिवस लगे। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे– अनुभाग अधिकारियों के लिए कार्यकारी विकास कार्यक्रम, ट्रांसफोर्मेशन के माध्यम से नेतृत्व प्रबंध विकास कार्यक्रम, टी क्यू एम तथा आई एस ओ 9000 के लिए मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण, गुणता पद्धति एन एस एल प्रशिक्षण,प्रभावी जन संपर्क पर प्रशिक्षण, प्रभावी ट्रेड यूनियन प्रबंध पर प्रशिक्षण, सतर्कता व्यवस्था पर एंडवांस पाठ्यक्रम इत्यादि।

इसके अतिरिक्त भामा ब्यूरों के 36 कार्मिक उनके कार्य क्षेत्र से संबंध 23 विभिन्न संगोष्ठियों सम्मेलनों, कार्यशालाओं इत्यादि के लिए नामित किए गए, जिसमें 81 कार्य दिवस लगे। ये कार्यक्रम बाहरी एजेंसियों द्वारा आयोजित किए गए थें। इनका उद्देश्य अपने विषय पर कर्मचारियों को अद्यतन जानकारी से परिचित कराना था। विभिन्न कार्यशालाओं, संगोष्ठियों इत्यादि के लिए नामित अधिकारियों ने तकनीकी पेपर भी प्रस्तुत किए।

Training of BIS Personnel

BIS continued to make its efforts on development of human resource. As a part of the development of human resource, BIS personnel are imparted training through in-house training programmes and also by deputing them to the training programmes being organized by various agencies.

In-house Training

In the year 1999-2000, 65 in-house training programmes were organized in six different areas for 705 personnel covering 3 210 mandays of different levels of employees. Some of the major areas where training was organized are Computer Training on Windows 98 and MS Office 97, training on sexual harassment at workplace, training for presenting officers and investigating officers, etc.

Training by Outside Agencies

Besides the in-house training programmes, the advantage is continuously being taken of the various training programmes by different outside agencies by deputing officers and staff of BIS in these specialized programmes. During the year, 64 personnel were deputed to attend 30 different training programmes covering 226 mandays. Some of the important training programmes were executive development programme for section officers, management development programme on leadership through transformation: Indian insights, training on HRD for TQM and ISO 9000, Quality Systems NABL training, training on effective public relations, programme on effective trade union management, advance course on vigilance mechanism, etc.

In addition to these, 36 BIS personnel were also nominated to attend 23 different seminars, conferences, workshops, etc, relevant to their functional areas covering 81 mandays organized by various outside agencies so that they may be kept abreast with the latest knowledge on the subject. The officers nominated to the various workshops, seminars, etc. also presented the technical, papers.

कम्प्यूटरीकरण और कार्यालय स्वचलन

ब्यूरों ने प्रौद्योगिकी के साथ साथ आगे बढने के लिए उपभोक्ता और उद्योगों को और प्रमाणन कंप्यूटरीकरण के क्षेत्र में तीव्र गति से और विश्वसनीय सूचना देने के विभिन्न गतिशील क्षेत्रों जैसे मानक संबर्धन और प्रमाणन कंप्यूटरीकरण के क्षेत्र में अपने प्रयास जारी रखे।

परियोजनाएँ

सी डी-रोम पर भारतीय मानक

भारतीय मानकों की पाठ्यसामग्री भा मा ब्यूरो प्रकाशनों की इलैक्ट्रॉनिक भंडारण पुनः प्राप्त करने की परियोजना मैसर्स बुक सप्लाई ब्यूरो, नई दिल्ली के सहयोग से सफलतापूर्वक पूरा की जा चुकी है। यह परियोजना ढाई महीनें के रिकार्ड किए जाने वाले समय में पूरा की गयी है और 11 अक्तूबर 1999 से आरंभ हो गई है। अब सभी भारतीय मानक और भा मा ब्यूरो के प्रकाशन सी डी–रोम के इलैक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध हैं। इस परियोजना से बिना कोई निवेश किए छः माह में ही 35 लाख रूपये की आय प्राप्त हो गई है।

आग सुरक्षा के लिए निपुण पद्धति

आग सुरक्षा के लिए निपुण पद्धति परियोजना सफलता पूर्वक मैसर्स एन आई आई टी लिमिटेड नई दिल्ली के सहयोग से पूरी की गयी। साफ्टवेयर से अग्निशामक उपकरणों को लगाने के लिए मार्गदर्शन मिलता है। साफ्टवेयर को सी डी–रोम में करने के पश्चात बिक्री के लिए रखा जाएगा।

COMPUTERIZATION AND OFFICE AUTOMATION

The Bureau, in order to keep pace with technology to provide speedier and reliable information to consumer and industry, continued its efforts towards computerization in various functional areas like standards formulation and certification.

PROJECTS

Indian Standards on CD-ROM

Project on Electronic Storage/Retrieval of full text of Indian Standards/BIS Publications has been successfully completed in collaboration with M/s Book Supply Bureau, New Delhi. The project was completed within a record time of two and a half months and was launched on 11 October 1999. All Indian Standards and BIS publications are now available in electronic format on CD-ROM. This project has earned revenue to the tune of Rs 3.5 million in a span of six months without any investment.

Expert System for Fire Protection

The Project on Expert System for Fire Protection has been successfully completed in collaboration with M/s NIIT Ltd, New Delhi. The software is useful for guiding the fire-fighting expert in designing of buildings and installation of fire fighting equipment. The software would be released for sale after being replicated on CD-ROM.

भामा ब्यूरो गतिविधियों के समेकित कंप्यूटरीकरण की परियोजना

भा मा ब्यूरो ने अपनी सभी गतिविधियों में आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कंप्यूटरीकरण करने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना प्रारम्भ की है। परियोजना विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन है।

Projects on Integrated Computerization of BIS Activities

BIS has embarked upon an ambitious project to computerize all the activities with the use of modern technology. The project is under consideration at various levels.

कार्यालय स्वचलन सुविधाएँ

भा मा ब्यूरो के विभिन्न कार्यालयों में पेन्टियम II आधारित 64 नम्बर के पर्सनल कंप्यूटरों को प्राप्त करके उन्हें लगाने का कार्य पूरा किया गया। कंप्यूटरों को विभिन्न गतिविधियों को चलाने के लिए आधुनिकतम विडोंज आधारित साफ्टवेयर से लोड किया गया है। 17 नम्बर के प्रिन्टरों को भी प्राप्त करने का कार्य पूरा किया गया है। विभिन्न विभागों/शाखा कार्यालयों द्वारा इन्टरनेट आगमन की सुविधा के लिए 11 नम्बर के मोडियम को प्राप्त करने और लगाने के कार्य भी पूरे किए गए।

Office Automation Facilities

Procurement and installation of 64 numbers of Pentium-II based PCs has been completed at various BIS offices. The computers are loaded with latest Windows based software to carry out various activities. Procurement and installation of 17 numbers of printers has also been completed. Procurement and installation of 11 number of modems was also completed to facilitate Internet access by various Departments/Branch Offices.

इन्टरनेट/ई-मेल

सभी क्षेत्रीय और शाखा कार्यालय जिसमें भा मा ब्यूरो केन्द्रीय प्रयोगशाला भी शामिल है, को अब इन्टरनेट से जोड़ा गया है। इसके साथ ब्यूरो का उपभोक्ता/उद्योग के साथ प्रभावी रूप से सम्पर्क संभव होगा।

Internet/E-Mail

All regional and branch offices including BIS Central Laboratory are now connected through Internet. With this, it has been possible for the Consumer/Industry to effectively communicate with the Bureau.

भामा ब्यूरो वेब साइट

भा मा ब्यूरो वेब साइट की विषय–वस्तु में सुधार लाने के लिए उसे पुनः डिजाइन किया गया है, सूचना के सरल प्रचालन की सुविधा के लिए वेब पृष्ठों की पुनः संरचना की गई है, उसे अधिक सूचनाप्रद बनाने के लिए इसमें और अधिक सूचनाएँ जोड़ी गयी है। भा मा ब्यूरो वेब साइट के आगमन को मॉनिटर करने के लिए एक आगन्तुक काउन्टर भी खोला गया है। डाटा यह दर्शाते है कि भा मा ब्यूरो का वेब साइट प्रतिदिन औसतन 200 से अधिक हिट्स प्राप्त करता है।

BIS Web Site

All the contents of BIS web site have been redesigned to give it an improved look. Web pages are restructured to facilitate easy navigation. More information has been added to make it more informative. To monitor the access of BIS web site, a visitor counter has been added. The data shows that on an average BIS web site receives over 200 hits per day.

वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा

ब्यूरो ने लगातार ग्यारहवें वर्ष 1999–2000 में भी बिना किसी भारत सरकार की बजट संबंधी सहायता के अपने गैर योजनागत व्यय को वहन करने के लिए आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की।

Finance, Accounts and Audit

For the eleventh consecutive year, that is, 1999-2000, BIS achieved the goal of self reliance in meeting its non-plan expenditure without any budgetary support from the Government of India.

राजस्व (गैर–योजनागत)

वर्ष 1999-2000 के दौरान कुल आय 6 747.90 लाख रूपये रही जबकि पिछले वर्ष में यह राशि 5 396.60 लाख रूपये थी। इस प्रकार आय में 25.04 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस आय में सबसे अधिक योगदान प्रमाणन शुल्क का रहा। यह शुल्क पिछले वर्ष के 4 894.70 लाख रूपये की तुलना में इस वर्ष 6 063.60 लाख रूपये था (*देखें* आकृति 6)।

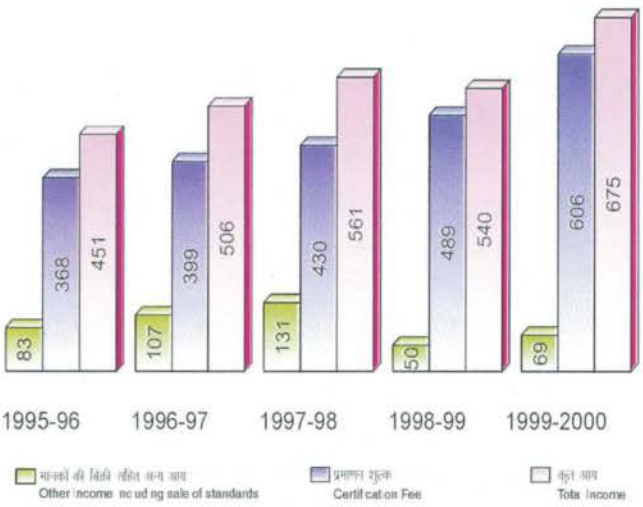

आय और व्यय

इस वर्ष 1999-2000 के दौरान 5 703.2 लाख रूपये खर्च हुए जबकि वर्ष 1998-99 के दौरान खर्च 5 326.0 लाख रूपये था। इस प्रकार इस वर्ष खर्च में 7.08 प्रतिशत वृद्धि देखने में आई। कुल परिचालन अधिशेष बढ़कर 1 044.80 लाख रूपये हो गया जबकि पिछले वर्ष यह राशि 70.60 लाख रूपये थी।

आकृति 6 आय (दस लाख रूपये में)
Fig. 6 Income (In million Rupees)

Revenue (Non-plan)

Total income during the year 1999-2000 was Rs 674.79 million against Rs 539.66 million in the previous year resulting in a growth of 25.04 percent. The largest contribution to the income was certification marking fee which stood at Rs 606.36 million against Rs 489.47 million in the previous year (*see* Fig. 6).

Income & Expenditure

Expenditure during the year 1999-2000 has risen to Rs 570.32 million from Rs 532.60 million during 1998-99 depicting an increase of 7.08 percent. Then operative surplus stood at Rs 104.48 million compared to Rs 7.06 million in the previous year.

वर्ष 1999-2000 और 1998–99 के दौरान हुई आय और व्यय का तुलनात्मक विवरण इस प्रकार है:

A comparative statement of Income and Expenditure during 1999-2000 *vis-a-vis* 1998-99 is given below :

	(रूपये दस लाख में) (Rupees in millions)		वृद्धि / कमी (–) Increase / decrease
आय **INCOME**	**1998-99**	**1999-2000**	
प्रमाणन शुल्क Certification Fee	489.47	606.36	24
मानको की बिक्री Sale of Standards	24.20	29.43	22
गुणता पद्धति शुल्क Quality System Fee	17.86	23.30	30
जमा पर ब्याज Interest on Deposits	0.00	6.34	100
अन्य विविध आय Misc.Income	8.13	9.36	15
योग **TOTAL**	**539.66**	**674.79**	**25**
व्यय **EXPENDITURE**			
वेतन और भत्ते Pay and Allowance	317.57	327.73	3
सेवानिवृत्ति लाभ Retirement Benefits	46.18	56.20	22
अन्य प्रचालन संबंधी व्यय Other Operating Expenses	153.40	170.03	11
मूल्य ह्रास Depreciation	15.45	16.36	6
योग **TOTAL**	**532.60**	**570.32**	**7**
अधिशेष **Surplus**	**7.06**	**104.47**	

भारतीय मानक ब्यूरो
31 मार्च 2000 का पक्का चिट्ठा
BUREAU OF INDIAN STANDARDS
BALANCE SHEET AS ON 31 MARCH 2000

	अनुसूची SCHEDULE	31.03.2000 को स्थिति AS ON 31.3.2000	31.03.99 को स्थिति AS ON 31.3.1999
निधि स्रोत SOURCES OF FUNDS			
पूंजी निधि Capital Fund	एन N	294312395	273458518
रिजर्व और निधियाँ Reserves & Funds	ओ O	1322275970	1070875612
ऋण Loans	पी P	30000000	35200000
	योग TOTAL	**1646588365**	**1379534130**
निधियों का उपयोग APPLICATION OF FUNDS			
अचल परिसम्पत्तियाँ Fixed Assets	क्यू Q	188892652	189596086
निवेश Investments	आर R	1211915621	933275808
कार्यकारी पूँजी WORKING CAPITAL			
चल परिसम्पत्तियाँ, ऋण और अग्रिम Current Assets, Loans and Advances	एस S	274328611	280082812
नामे: चालू देयता Less : Current Liabilities	टी T	28548519 245780092	23420576 256662236
	योग TOTAL	**1646588365**	**1379534130**

लेखाकरण नीतियाँ / लेखा टिप्पणी परिशिष्ट-I पर दी गई है।
Accounting Policies/Notes on Accounts are given at Appendix-I.
ऊपर दी गई अनुसूचियाँ लेखे का भाग है।
The Schedules referred to above form the part of Accounts.

हस्ता./Sd./-	हस्ता./Sd./-	हस्ता./Sd./-
(पी.एस. दास)	(बी.जी. शंकर राव)	(एच.आर आहुजा)
(P.S.Das)	(B.G.Sankara Rao)	(H.R. Ahuja)
महानिदेशक, भा मा ब्यूरो	उपमहानिदेशक वित्त, भा मा ब्यूरो	निदेशक वित्त, भा मा ब्यूरो
Director General, BIS	Dy Director General (Finance), BIS	Director (Finance), BIS

31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष का आय और व्यय लेखा

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2000

आय INCOME	अनुसूची SCHEDULE	चालू वर्ष CURRENT YEAR 1999-2000	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR 1998-99
1. प्रमाणन शुल्क Certification Fees		606355678	489470406
2. गुणता पद्धति प्रमाणन शुल्क Quality System Certification Fees		23298672	17857791
3. मानकों की बिक्री Sale of Standards	ए A	29433416	24198540
4. अन्य आय Other Income	बी B	15704912	8134388
5. सरकारी अनुदान Govt. Grant		—	—
योग TOTAL		674792678	539661125

व्यय EXPENDITURE	अनुसूची SCHEDULE	चालू वर्ष CURRENT YEAR 1999-2000	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR 1998-99
1. वेतन और भत्ते Pay and Allowances	सी C	327732825	317572599
2. सेवा निवृत्ति लाभ Retirement Benefits	डी D	56202537	46183119
3. अन्य स्टाफ लाभ Other Staff Benefits	ई E	13894467	15237615
4. यात्रा व्यय Travelling Expenses	एफ F	23955248	22251612
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को चंदे Subscription to International Organizations	जी G	9962690	11563539
6. उत्पादन Production	एच H	7944714	4683177
7. परीक्षण Testing	आई I	33696456	30311087
8. प्रचार Publicity	जे J	6078001	4091651
9. कार्यालय व्यय Office Expenses	के K	43351673	40460825
10. मरम्मत व रखरखाव Repairs & Maintenance	एल L	17815720	11859787
11. अन्य व्यय Other Expenses	एम M	13325618	12772697
12. विश्व बैंक परियोजना राजस्व व्यय World Bank Project Revenue Expenses	एम 1 M 1	—	163935
13. मूल्यह्रास Depreciation	क्यू Q	16357311	15450053
योग TOTAL		570317260	532601696
सामान्य आरक्षित निधि में अधिशेष अंतरित Surplus Transferred to General Reserve Fund		104475418	7059429

अनुसूची ए – मानकों की बिक्री SCHEDULE A – SALE OF STANDARDS

	चालू वर्ष CURRENT YEAR 1999-2000	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR 1998-1999
1. भारतीय मानक Indian Standards	27515061	22518201
2. विदेशी प्रकाशन Overseas Publications (Commission)	1918355	1680339
योग TOTAL	**29433416**	**24198540**

अनुसूची बी – अन्य आय SCHEDULE B – OTHER INCOME

1. निवेश से आय Income from Investment		
ब्याज से कुल आय Gross Interest Income	99165274	78457522
नामे: विशेष प्रयोजन के लिए उद्दिष्ट निधि Less: Interest Transferred to Earmarked Funds	92827000	78457522
अन्य निवेश से कुल आय Net Income from other Investments	6338274	—
2. सम्मेलन, परामर्श और प्रशिक्षण शुल्क Conferences, Consultancy & Training Fees	3231064	4034428
3. विविध Miscellaneous		
(क) राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार (निवल) National Quality Award (Net)	140861	201250
(ख) अन्य Others	5994713	3898710
योग TOTAL	15704912	8134388

अनुसूची सी – वेतन और भत्ते SCHEDULE C – PAY AND ALLOWANCES

1. वेतन PAY		
ब्यूरो के सदस्य (महानिदेशक को छोड़कर) Members of the Bureau (Other than Director General)		
महानिदेशक Director General	294550	284200
अधिकारी Officers	91581239	107703947
स्टाफ Staff	105323604	111798328
2. भत्ते ALLOWANCES		
ब्यूरो के सदस्य (महानिदेशक को छोड़कर) . Members of the Bureau (Other than Director General)		
महानिदेशक Director General	190736	206892
अधिकारी Officers	58113286	42750646
स्टाफ Staff	72229410	54828586
योग TOTAL	**327732825**	**317572599**

अनुसूची एम – अन्य व्यय SCHEDULE M – OTHER EXPENSES

		चालू वर्ष CURRENT YEAR 1999-2000	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR 1998-99
1.	अनुसंधान एवं परामर्श Research and Consultation	——	——
2.	सम्मेलन, परामर्श एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम Conferences, Consultancy and Training Programme	2132697	2694373
3.	इलैक्ट्रानिकी आंकड़ा संसाधन Electronic Data Processing	2202689	1607714
4.	पुस्तकालय चंदा और अन्य व्यय Library Subscription and Other Expenses	310005	506443
5.	लेखा परीक्षा शुल्क और कानूनी कार्यवाही प्रभार Audit Fees and Legal Charges	1283185	1020680
6.	स्टाफ प्रशिक्षण Staff Training	1125004	252860
7.	आवास निर्माण ऋण पर ब्याज/ब्याज पर छूट Interest/Interest Subsidy on House Building Loan	3281871	2671500
8.	अन्य ऋणों पर ब्याज Interest on Other Loans From :		
	(क) केन्द्र सरकार (a) Central Government	——	——
	(ख) अन्य स्रोत – वर्ल्ड बैंक ऋण (b) Other Sources – World Bank Loan	314872	——
9.	डूबा ऋण बट्टे खाते में डाला Bad Debts Written Off	8570	5940
10.	आईईसी जीएम 97 (अंशदान का शुद्ध) IEC GM 97 (Net of Contribution)	——	1182966
11.	स्वर्ण जयंती समारोह Golden Jubilee Celebration	——	547471
12.	गुणता पद्धति प्रभार Quality System Charges	2666725	2282750
	योग TOTAL	13325618	12772697

अनुसूची एम 1 – विश्व बैंक परियोजना राजस्व व्यय
SCHEDULE M1 – WORLD BANK PROJECT REVENUE EXPENSES

1.	परियोजना Project	1 – मानकीकरण प्रबन्ध एवं मानक विकास 1 – Standardization Management & Standards Development	——	——
2.	परियोजना Project	2 – उत्पादों का गुणता उन्नयन 2 – Upgrading Quality of Products	——	163935
3.	परियोजना Project	3 – भामा ब्यूरो प्रयोगशाला नेटवर्क का उन्नयन 3 – Upgrading BIS Lab network	——	——
4.	परियोजना Project	4 – भामा ब्यूरो प्रशिक्षण गतिविधियों को मजबूत करना 4 – Strengthening BIS Training Activity	——	——
5.	परियोजना Project	5 – भामा ब्यूरो के संवर्धनात्मक प्रयासों को बढ़ाना 5 – Strengthening BIS Promotional Efforts	——	——
6.	परियोजना Project	6 – निर्यात के लिए तकनीकी सहायता 6 – Technical Assistance to Exports	——	——
7.	परियोजना Project	7 – मानक सूचना केन्द्र 7 – Standards Information Centres	——	——
8.	परियोजना Project	8 – इलैक्ट्रॉनिकी प्रलेख इमेज पुनः प्राप्ति एवं अन्तर सक्रिय सूचना तंत्र 8 – Electronic Document Image Retrieval System & Intractive Information System	——	——
		योग TOTAL		163935

भारतीय मानक ब्यूरो पुस्तकालय
BUREAU OF INDIAN STANDARDS
3471 M
दिनांक Date 2002-11-15
नई दिल्ली NEW DELHI

अनुसूची एन – पूँजीनिधि SCHEDULE N – CAPITAL FUND

	चालू वर्ष CURRENT YEAR	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR
	1999-2000	1998-99
पिछले पक्के चिट्ठे के अनुसार As per Last Balance Sheet	273458518	826262473
जमा : Add:		
(i) योजनागत अनुदान से पूँजी परिसम्पत्तियों की लागत (अनुसूची ओ की क्रम सं. 1 देखें) Cost of Assets Capitalized from Plan Grants (Refer Schedule 'O' Sl No.1)	586610	51432963
(ii) विश्व बैंक ऋण मोचन लेखा निधि से अंतरण Transfer from World Bank Loan Redemption Fund Account	5200000	5200000
(iii) वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय (आधारभूत संरचना विकास निधि से अंतरित राशि) Capital Expenditure During the Year (Amount Transferred from Infrastructure Development Fund)	15072507	29068249
योग TOTAL	294317635	911963685
नामे Less :		
(i) पूँजीगत निधि से आधारभूत संरचना निधि में अंतरण Transfer from Capital Fund to Infrastructure Fund	—	274100000
(ii) पूँजीगत निधि से पेंशन निधि में अंतरण Transfer from Capital Fund to Pension Fund	—	364400000
(iii) बट्टे खाते में डाला पूँजीगत निवेश Capital Investment Written Off	5240	5167
योग TOTAL	294312395	273458518

अनुसूची ओ – रिजर्व और निधियाँ SCHEDULE O – RESERVES AND FUNDS

क्रम सं. Sl No.	विवरण Particulars	1 अप्रैल 1999 को शेष निधि Fund Balance As on 1 April 1999	1999–2000 के दौरान अनुदान प्राप्तियाँ Grant Received during 1999-2000	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ / विनियोजन Other Receipts/ Appropriations	वर्ष 1999–2000 के दौरान उपयोग Utilization during the year 1999-2000			31 मार्च 2000 की स्थिति As on 31 March 2000
					पूँजी Capital	राजस्व Revenue	योग Total	
1.	पूँजीकरण की प्रक्रिया में निधियाँ (परियोजना के नाम) FUNDS IN THE PROCESS OF CAPITALIZATION (NAME OF THE PROJECTS)							
	(ए) प्रयोगशाला उपस्कर, कंप्यूटर तथा संबद्ध उपस्कर निधियाँ Laboratory equipment, computer and associated equipment fund	10672508	—	431375 (Interest)	586610	—	586610	10517273
	(बी) कोलकाता प्रयोगशाला-सह-कार्यालय भवन निधि Kolkata Lab-cum-Office Building Fund	458933	—	—	—	—	0	458933
	(सी) एस एंड टी परियोजना निधि S & T Project Fund	77885	—	—	—	—	0	77885
	(डी) स्टाफ आवास परियोजना Staff Housing Project	—	—	—	—	—	0	0
	(ई) गैट परियोजना निधि GATT Project Fund	162370	—	—	—	—	0	162370
	(एफ) प्रशिक्षण संस्था निधि Training Institute Fund	1957000	—	—	—	—	0	1957000
	(जी) वर्तमान मुख्यालय भवन में नया निर्माण निधि Additions tc Existing Bldg. HQ Fund	192879	—	—	—	—	0	192879
	योग TOTAL	**13521575**	—	431375	586610	—	586610	13366340*
2.	कर्मचारी निधि EMPLOYEES FUND							
	(ए) ग्रेच्युटी निधि Gratuity Fund	324999	—	523841	—	348117	348117	500723
	(बी) हितकारी निधि Benevolent Fund	396208	—	—	—	218320	218320	177888
	(सी) सामान्य भविष्य निधि G.P. Fund	318521115	—	107819157	—	35999410	35999410	390340862
	(डी) अंश भविष्य निधि C.P. Fund	5592653	—	1368906	—	295255	295255	6666304
	(ई) पेंशन निधि (नई) Pension Fund (New)	407073622	—	52584000	—	—	0	459657622
	पेंशन निधि (पुरानी) Pension Fund (Old)	116678	—	55500000	—	53818520	53818520	1798158
	योग TOTAL	**732025275**	—	**217795904**	—	**90679622**	**90679622**	**859141557**
3.	अन्य विशेष परियोजनाएँ निधि OTHER SPECIFIC PROJECT FUNDS							
	(ए) क्वासम QAWSM	604682	—	—	—	6600	6600	598082
	(बी) विश्व बैंक प्रतिदान निधि World Bank Loan Redemption Fund	40534000	—	3533000	—	5200000	5200000	38867000
	(सी) आधारभूत संरचना विकास निधि Infrastructure Development Fund	277130651	—	35798000	15072507	—	15072507	297856144
	योग TOTAL	**318269333**	—	**39331000**	**15072507**	**5206600**	**20279107**	**337321226**
4.	सामान्य आरक्षित निधि General Reserve Fund	7059429	—	104475418 912000	—	—	—	112446847
	महायोग GRAND TOTAL	**1070875612**	—	**362033697**	**15659117**	**95886222**	**111545339**	**1322275970**

*रु. 13366340 में से रु. 9077199 की राशि का उपयोग कर लिया गया है और इसे अनुसूची 'एस' 3 (डी) के अंतर्गत अग्रिम के रूप में दिखाया गया है, अतः 31.3.2000 तक अनुदान की व्यय न की गई शेष राशि रु. 4289141 है

*Out of Rs. 13366340, a sum of Rs. 9077199 has been utilized and shown as advance under schdule 'S' 3(d), therefore, the unspent balance of grant as on 31.3.2000 amounts to Rs. 4289141.

अनुसूची पी – ऋण SCHEDULE P – LOANS

ऋण की प्रकृति Nature of Loan	31 मार्च 1999 को स्थिति As on 31 March 1999	1999–2000 के दौरान During 1999-2000		31 मार्च 2000 को शेष Balance on 31 March 2000
		प्राप्तियाँ Receipts	भुगतान Repayments	
(i) भारत सरकार से प्राप्त ऋण Loans from Government of India	—	—	—	—
(ii) अन्य स्रोतों से प्राप्त ऋण Loans from Other Sources				
1. विश्व बैंक World Bank	35200000	—	5200000	30000000
योग TOTAL	**35200000**	—	**5200000**	**30000000**

अनुसूची एस – चालू परिसम्पत्तियों, ऋण और अग्रिम
SCHEDULE S – CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES

क्रं.सं. विवरण Sl.No. Particulars		चालू वर्ष CURRENT YEAR 1999-2000	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR 1998-1999
1.	स्टॉक (लागत पर) Stock (at cost)		
	(क) छपाई का कागज Printing Paper	2629512	2673906
	(ख) प्रयोगशाला में उपकरण और स्टोर का सामान Laboratory Apparatus and Stores	1373092	1594978
	(ग) स्टेश्नरी तथा कंप्यूटर की खपत उपभोग्य सामग्री व्यय Stationery & Computer Consumables	886423	920073
	(घ) उपभोग्य सामग्री की मरम्मत और रखरखाव Repair & Maintenance Consumables	132506	91945
2.	फुटकर लेनदारियाँ Sundry Debtors		
	(क) प्रकाशनों की बिक्री Sale of Publications	4377456	4165201
	(ख) प्रमाणन Certification	6309577	7949365
3.	ऋण, अग्रिम और जमा Loans, Advances and Deposits		
	(क) कर्मचारियों को निम्नलिखित के लिए ऋण Loans to Employees for:		
	(i) वाहन की खरीद के लिए Purchase of Conveyance	16824495	14829143
	(ii) आवास निर्माण के लिए House Construction	14817289	4436710
	(iii) कम्प्यूटर Computer	1699425	535630
	(ख) कर्मचारियों को निम्नलिखित के लिए ऋण Advances to Employees for:		
	(i) त्यौहार Festival	828645	793675
	(ii) प्राकृतिक आपदाएँ Natural Calamities	54490	93750
	(iii) यात्रा Travelling Expenses	4660457	4069697
	(iv) छुट्टी यात्रा Leave Travel	799167	1120275
	(v) वसूली योग्य लेखे Accounts Recoverable	122998	164281
	(vi) पंखा अग्रिम Fan Advance	7120	6021
	(ग) समायोजनीय अग्रिम (गैर योजनागत) (कर्मचारी/पार्टियों) Adjustable Advances (Non Plan) (Employees/Parties)	9538553	14757212
	(घ) पार्टियों को अग्रिम (योजनागत परियोजना योजनाओं के अंतर्गत) Advances to Parties : Under Plan Projects Schemes	9077199	9463949
	(ड) विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत पार्टियों को अग्रिम Advances to Parties : Under World Bank Projects	18192804	18192804
	(च) सरकारी पार्टियों से वसूलियाँ (कोलम्बो योजना/स्कैप/आइटैक) Recoverables from Govt.Parties: (Colombo Plan/SCAPP/ITEC)	2815261	3609447
	(छ) वसूली योग्य लेखे (अन्य) (जी.आई.एस.लेखे में अंतर सहित) Accounts Recoverable (Other) (Including Difference in GIS Account)	4005203	4184595
4.	प्रतिभूति जमा Security Deposits	2029112	1973182
5.	पूर्वप्रदत्त व्यय Prepaid Expenses	3966542	573568
6.	स्रोत पर काटा गया कर Tax Deducted at Sources	2184195	1138250
7.	प्रोदभूत और देय ब्याज – गैर योजना Interest Accrued & Due – Non Plan	59210781	94302824
	– सा.भ.नि./अंश.भ.नि. – GPF/CPF	13717025	10666793
	– योजनागत परियोजनाएँ – Plan Projects	349944	——
8.	कैश तथा बैंक शेष Cash and Bank Balances		
	(क) बैंक में With Banks	90193174	71684107
	(ख) हाथ में (इम्प्रेस्ट सहित) In Hand (Including Imprest)	980590	659294
	(ग) फ्रैंकिंग मशीन Franking Machine	245576	197162
	(घ) पारवहन में चैक Cheques in Transit	2300000	5234975
	योग TOTAL	274328611	280082812

अनुसूची टी – चालू देयताएँ SCHEDULE T – CURRENT LIABILITIES

क्र.सं. विवरण Sl No. PARTICULARS	चालू वर्ष CURRENT YEAR 1999-2000	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR 1998-1999
1. फुटकर देनदारियाँ Sundry Creditors		
(क) देश में Inland	8430391	4280876
(ख) विदेश में Abroad	4800000	5300155
(ग) बयाना राशि Earnest Money	5950840	5301968
2. ग्राहक बकाया (बिक्री) Customer Balances :		
(क) बिक्री Sales	3725616	3088159
(ख) प्रमाणन Certification	3313036	3184290
3. भुगतान योग्य लेखे (कर्मचारियों के) Accounts Payable (Employees)	439359	547082
4. अप्रदत्त वेतन ओर मजदूरी Unpaid Salaries and Wages	50519	10081
5. बिहार सरकार (प्रयोगशाला उपस्कर खाता) Govt. of Bihar (A/c Lab.Equipment)	395526	395526
6. गुजरात सरकार (अहमदाबाद शा.का. भवन खाता) Govt. of Gujarat (ABO Building A/c)	1443232	1312439
योग TOTAL	28548519	23420576

परिशिष्ट - I

लेखा नीतियाँ / लेखा टिप्पणी

1. लेखा नीतियाँ

(i) आय और व्यय स्वीकृति

(अ) सामान्यतया आय की गणना नकदी के आधार पर की जाती है, जबकि ब्याज की गणना संभूति के आधार पर की जाती है।

(ब) व्यय की गणना सामान्यतः वाणिज्यिक पद्धति से की जाती है।

(ii) निवेश

निवेश लागत पर दिया जाता है।

(iii) सम्पत्ति सूची

भारतीय मानकों के स्टॉक और अन्य प्रकाशनों का मूल्य और गणना लेखे में नहीं की गई क्योंकि उनका बिकाऊ मूल्य तैयार नहीं है। परन्तु कागज, प्रयोगशाला उपकरणों और लेखन–सामग्री के स्टॉक का लागत पर मूल्य दिया गया है।

(iv) नियत परिसम्पत्तियाँ

नियत परिसम्पत्तियाँ संचित ह्रास को घटाकर ह्रासित मूल्य पद्धति पर दी गई है।

2. लेखा टिप्पणी

(i) **आधारभूत विकास निधि** – जैसा कि वित्त समिति द्वारा अपनी दिनाँक 30.11.98 को संपन्न दसवीं बैठक में की गई सिफारिश ओर कार्यकारी समिति की अपनी दिनाँक 1 दिसम्बर, 1998 को संपन्न इकतालिसवीं बैठक में अनुमोदन के अनुसार 1998–1999 में आधारभूत संरचान विकास निधि लेखे का सृजन किया गया। दिनाँक 1 अप्रैल, 1999 के प्रारंभिक शेष राशि 2 771.31 लाख रूपए थी। वर्ष 1999-2000 के दौरान 150.73 लाख रूपए मूलभूत वस्तुओं जैसे फर्नीचर और कार्यालय उपस्कर, पुस्तकालय की किताबें और मुख्यालय भवन पर खर्च किए गए। अतः 150.73 लाख रूपए की राशि को आधारभूत संरचना निधि से अलग पूँजीगत निधि में स्थानान्तरित किया गया था।

वर्ष 1999–2000 के दौरान आधारभूत संरचना विकास निधि के विरूद्ध ब्याज की आय रू0 357.98 लाख की राशि को निवेशों से वसूल किया गया और उसे उल्लिखित निधि में जमा किया गया था। 31.03.2000 को उल्लिखित निधि में शेष इस तरह।

(ii) (क) **पेंशन निधि (नई)** – जैसा कि वित्त समिति ने अपनी दिनाँक 30.11.98 को सम्पन्न 10वीं बैठक द्वारा की गई सिफारिश और कार्यकारी समिति की अपनी दिनाँक 1.12.98 को सम्पन्न 41वीं बैठक में उसके अनुमोदन के अनुसार वर्ष 1998–99 में एक नई पेंशन निधि लेखे का सृजन किया गया था। इस पेंशन निधि में दिनाँक 1.4.99 को वर्ष 1999–2000 में शेष 4 070.74 लाख रूपए इस निधि के विरूद्ध ब्याज की आय रू0 525.84 लाख की राशि थी, जिसे पंशन निधि लेखे में जमा किया गया था। नए पेंशन निधि लेखे में उपलब्ध निधि को उपयोग में लाना शुरू नहीं किया गया जैसा कि पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों के लिए आवर्ती देयता पूरा करने के लिए बिमांकिक नियोजन की रिपोर्ट अभी प्राप्त नही हुई है। अतः दिनाक 31.3.2000 को पेंशन निधि की राशि रू0 4 596.58 लाख है।

APPENDIX - I

ACCOUNTING POLICIES/NOTES ON ACCOUNTS

1. Accounting Policies

i) Income & Expenditure Recognition

a) Income is generally accounted on cash basis except interest income which is accounted on accrual basis.

b) Expenditure is generally accounted as per mercantile system.

ii) Investments

Investments are stated at cost.

iii) Inventories

Stock of Indian Standards and other publications are not valued and accounted for in the Accounts as they have no ready marketable value. However, the stock of paper, lab appratus and stationery are valued at cost.

iv) Fixed Assests

Fixed Assets are stated at cost less accumulated depreciation provided on written down value method.

2. Notes on Accounts

(i) INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FUND – As recommended by Financial Committee in its 10th meeting held on 30.11.98 and approved by EC in its 41st meeting held on 1 December 1998, the Infrastructure Development Fund Account was created in 1998-99. The opening balance as on 1 April 1999 amounted to Rs. 2 771.31 lacs. An expenditure of Rs. 150.73 lacs was incurred during 1999-2000 on capital items viz. Furniture & Office Equipment, Library Books and HQ building. This amount of Rs. 150.73 lacs was therefore, transferred to Capital Fund, out of Infrastructure Development Fund.

The interest income of Rs. 357.98 lacs was realised out of investments against Infrastructure Development Fund during 1999-2000 and was credited to the said Fund. The Balance in the said Fund as on 31.3.2000 thus stands at Rs. 2 978.56 lacs as shown in Schedule 'O'.

(ii) (a) PENSION FUND (New) – As recommended by Financial Committee in its 10th meeting held on 30 November 1998 and approved by EC in its 41st meeting held on 1 December 1998, a new Pension Fund Account was created in 1998-99. The opening balance as on1 April 1999 in this Pension Fund Account amounted to Rs 4 070.74 lacs. The interest income of Rs.525.84 lacs out of investments against this fund during 1999-2000 was credited to Pension Fund Account. The fund available in the new Pension Fund Account was not started utilizing, as the report of the Actuary appointed for calculating the perpetual requirement of fund for meeting the recurring liability for pension and retirement benefits, is awaited. The Pension Fund thus amounts to Rs 4 596.58 lakh as on 31 March 2000.

(ii) (ख) **पेंशन निधि (पुरानी)** – पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान पुरानी पेंशन निधि (पुरानी) लेखे में योगदान के साधनों द्वारा राजस्व लेखा से अलग किया गया है। वर्ष के दौरान 537.00 लाख रुपए को अलग से नियत किया गया था और "पेंशन निधि अंशदान" शीर्ष के अन्तर्गत पेंशन की विमांकिक अपेक्षा और सेवनिवृत्ति लाभों के आधार पर प्रभारित किया गया था।

(iii) **आयकर से छूट**– भारतीय मानक ब्यूरो को मूल्याकंन वर्ष 1998–99 से 2000–2001 के लिये अधिसूचना संख्या 10629/15.6.98 के द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23सी) (iv) के अन्तर्गत आयकर से छूट के लिये अधिसूचति किया गया है। ब्यूरो ने अगले वर्ष के लिये भी ऐसी छूट देने के लिये पहले ही आवेदन किया हुआ है।

लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र

मैंने भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के 31 मार्च,2000 को समाप्त हुए वर्ष के आय और व्यय लेखा दिनांक 31 मार्च,2000 के तुलन पत्र की जांच कर ली है। मैंने सभी अपेक्षित सूचनायें और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं और संलग्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दी गई अभ्युक्तियों के अध्याधीन अपनी लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम सूचना और मुझे दिये गए स्पष्टीकरणों और संगठन की बहियों में दिये गये उल्लेख के अनुसार ये लेखे और तुलन पत्र उपयुक्त रूप से तैयार किये गए हैं, भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के कार्यकलाप का सही और उचित रूप प्रस्तुत करते है।

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 22 दिसम्बर 2000

(एच. प्रदीप राव)
प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा
आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय

वर्ष 1999–2000 के लिए भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के लेखों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट

1 परिचय

भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना 1 अप्रैल 1987 को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के लागू होने के बाद संवैधानिक निकाय के रूप में हुई। इसने अपनी पूर्ववर्ती भारतीय मानक संस्था की सभी गतिविधियों जैसे गुणता आश्वासन पर उत्पाद प्रमाणन, परामर्शी सेवाओं, परीक्षण आदि का कार्यभार संभाल लिया।

ब्यूरो की गतिविधियों के लिए धनराशि प्रमाणन मुहरांकन शुल्क, लाइसेंस शुल्क, प्रकाशनों की बिक्री और केन्द्रीय सरकार के अनुदान से मिलती है।

ब्यूरो के लेखों की लेखा परीक्षा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 की धारा 22(2) तथा महालेखा नियंत्रक (कर्तव्य, शक्तियों तथा सेवाओं की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19 (2) के अन्तर्गत की गयी।

2 लेखों पर टिप्पणियाँ तुलनपत्र

2.1 परिसम्पत्तियों का न्यून विवरण

(i) अनुसूची एस – चालू परिसम्पत्तियाँ,ऋण तथा अग्रिम, जिसका शीर्षक ऋण, अग्रिम तथा जमा है, के 3 (सी),(डी) तथा (ई) में दिखाए गए अनुसार 368.09 लाख रूपये के कुल समायोज्य अग्रिम में से 245.15 रूपये (विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत 179.08 लाख रूपये तथा योजनागत परियोजना के अन्तर्गत 66.07 लाख रूपये) की राशि प्रयोगशाला उपस्करों की खरीद के लिए दी गयी। इनमें से विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत 179.08 लाख रूपये तथा योजनागत परियोजना के अन्तर्गत 42.06 लाख रूपये के उपस्कर

(ii) (b) PENSION FUND(Old) – The payment of pensions and retirement benefits were made out of the Revenue Account by means of contribution to the old Pension Fund(Old) Account. A sum of Rs 537.00 lakh was set aside and charged under the Head Contribution to Pension Fund on the basis of actual requirement of the pension and retirement benefits during the year.

(iii) INCOME-TAX EXEMPTION – BIS has been notified under Section 10 (23C) (iv) of the *Income-Tax Act* 1961 vide Notification No.10629/15/6/98 for the Assessment Years 1998-1999 to 2000-2001. Bureau has already applied for similar exemptions for the subsequent years.

AUDIT CERTIFICATE

I have examined the Income and Expenditure Account for the year ended 31 March 2000 and the Balance Sheet as on 31 March 2000 of Bureau of Indian Standards, New Delhi. I have obtained all the information and explanations that I have required and subject to the observations in the appended Audit Report, I certify as a result of my audit, that in my opinion these Accounts and Balance Sheet are properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bureau of Indian Standards, New Delhi, according to the best of information and explanations given to me and as shown by the books of the Organization.

Place : New Delhi
Dated : 22 December, 2000

(H. Pradeep Rao)
Principal Director of Audit
Economic & Service Ministries
New Delhi - 110 002.

AUDIT REPORT ON THE ACCOUNTS OF BUREAU OF INDIAN STANDARDS, NEW DELHI FOR THE YEAR 1999-2000

1 INTRODUCTION

The Bureau of Indian Standards was established as a statutory body with effect from 1 April 1987 with the enactment of *Bureau of Indian Standards Act*, 1986. It took over all activities, namely, product certification on quality assurance, consultancy services, testing, etc, of the erstwhile Indian Standards Institution.

The activities of the Bureau are financed from receipt of fees for certification mark, licence fees, sale of publications and grant from Central Government.

The audit of the accounts of the Bureau was conducted under Section 22(2) of the *Bureau of Indian Standards Act*, 1986 and Section 19(2) of the *Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act*, 1971.

2 COMMENTS ON ACCOUNTS BALANCE SHEET

2.1 Under Statement of Assets

(i) Out of total adjustable advances of Rs 368.09 lakh shown in the Schedule S-Current Assets, Loans & Advances, under the head Loans. Advances and Deposits 3(c)(d) & (e) a sum of Rs 245.15 lakh (Rs 179.08, lakh under World Bank Projects and Rs 66.07 lakh under Plan Projects) had been paid towards purchase of lab equipment. Out of above, Lab equipment worth Rs 179.08 lakh under World Bank Project and Rs 42.06 lakh under

ब्यूरो को क्रमशः सितम्बर 1997, फरवरी 1996 तथा मई 1994 से दिसम्बर 1994 में प्राप्त हुए। हालाकि ये उपकरण प्रयोगशाला में पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं और कार्य करना आरम्भ कर चुके हैं, किंतु इन्हें स्थिर परिसम्पत्तियों की अनुसूची में नहीं दर्शाया गया और इनके प्राप्त होने की पृथक–पृथक तारीखों से इन पर मूल्य ह्रास भी प्रभारित नहीं किया गया। इस प्रकार 221.14 लाख की स्थिर परिसम्पत्तियों का न्यून विवरण दिया गया, जिस पर मल्य ह्रास भी प्रभारित नहीं किया गया। अतः इस सीमा तक अग्रिमों का अधिविवरण दिया गया है।

(ii) उपर्युक्त अनुसूची में आवेदन शुल्क, नवीकरण शुल्क तथा वार्षिक शुल्क के संदर्भ में वसूली योग्य 74.30 लाख रूपये की राशि भी शामिल नहीं है जिसके परिणाम स्वरूप चालू परिसम्पत्तियों का न्यून विरण दिया गया।

2.2 परिसम्पत्तियों का अधिक विवरण

(i) हालाकि मई 1999 में लगी आग में बिजली के पूँजीगत संघटक, अर्थात एचटी/एलटी पैनल, एचटी/एलटी केबल इत्यादि क्षतिग्रस्त हो गये थे, जिनका मूल्य 20.84 लाख रूपये था, किन्तु उनका मूल्य बट्टे खाते में नहीं डाला गया है, इन्हें स्थिर परिसम्पत्तियों से हटा दिया गया है। इस सीमा तक स्थिर परिसम्पत्तियों और उनके मूल्य ह्रास का अधिक विवरण दिया गया है।

(ii) 41 985 रूपये के मुद्रण कागज तथा अन्य स्टेशनरी वस्तुएँ आग से क्षतिग्रस्त हो गयी थीं, किन्तु उन्हें भी बट्टे खाते में नहीं डाला गया था। इसके बजाय इनका मूल्य व्यय में दर्ज किया गया है और आय तथा व्यय लेखे में शामिल किया गया है। इस प्रकार अनुसूची "एच" में उत्पादन की लागत का इस सीमा तक अधिक विवरण दिया गया है।

2.3 भौतिक सत्यापन नहीं किया गया

सामान्य वित्तीय नियमों के अन्तर्गत मानकों का यथा–अपेक्षित भौतिक सत्यापन कभी नहीं किया गया। एक से नौ तक के मूल्य समूह के अन्तर्गत 20 रूपये से 100 रूपये तक के मानकों का स्टॉक लेखा ब्यूरो में कभी नहीं रखा गया। इसी प्रकार 10 से 15 के मूल्य समूह के मानकों का स्टॉक लेखा ब्यूरो में 1995–96 तक रखा जा रहा था। इसे 1996–97 से नहीं रखा गया।

2.4 विविध देनदार

मार्च 2000 के अंत में 63.10 लाख रूपये, जो विविध देनदार (प्रमाणन) में दिखाये गए थे, की राशि की वसूली योग्य थी।

संदिग्ध देनदारियों का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। 1994–95 की अवधि से पहले 22.59 लाख रूपये की राशि देय थी, जिसकी वसूली पिछले चार वर्षों से नहीं की गयी है। 0.64 लाख रूपये की वसूली 1981–82 से होनी है। इस प्रकार विविध देनदार (प्रमाणन) में सही स्थिति नहीं दिखाई गयी, क्योंकि अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ब्यूरो ने (नवम्बर 2000 में) बताया कि गैरवसूली योग्य देयताओं को बट्टे खाते में डालने की कार्रवाई की जा रही है।

3 सामान्य

3.1 हालाकि 5.89 लाख रूपये का व्यय लेखों में प्रभारित किया गया है, किंतु 1999–2000 के दौरान उपयोग किए गए अनुदानों के संदर्भ में उपादेयता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपादेयता प्रमाणन पत्र जी एफआर के प्रपत्र 19 ए में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

Plan Projects were received by the Bureau in September 1997, February 1996 and May 1994 to December 1996 respectively. Although these equipments have already been installed and commissioned in the lab, these were not shown in the Schedule of fixed assets and depreciation not charged from the respective dates of their receipts. Thus, fixed assets worth Rs 221.14 lakh have been understated on which depreciation has also not been charged. Advances were also thus overstated to this extent.

(ii) The above schedule does not include a sum of Rs 74.30 lakh recoverable in respect of Application Fee, Renewal Fee and Annual Fee resulting in understatement of current assets.

2.2 Over Statement of Assets

(i) Although capital electrical components, namely, HT/LT panel, HT/LT cable, etc, worth Rs 20.84 lakh were damaged in fire in May 1999, their value has not been written off and excluded from the fixed Assets. Thus fixed assets to this extent and depreciation thereon have been overstated.

(ii) Printing paper and other stationery items worth Rs 41 985 were also damaged in the fire but the same has not been written off. Instead, their value has been booked as expenditure and included in the Income and Expenditure Account. Thus the cost of production in schedule 'H' has been overstated to this extent.

2.3 Physical Verification not Conducted

Physical verification of standards has never been conducted as required under *General Financial Rules*. The stock account of Standards under groups 1 to 9 priced between Rs 20 to 100 has never been maintained in the Bureau. Similarly, stock account of Standards under group 10 to 15 being maintained by the Bureau uptill 1995-96 was discontinued by it since 1996-97.

2.4 Sundry Debtors

An amount of Rs 63.10 lakh representing Sundry Debtors (Certification) to the end of March 2000 was recoverable.

No provision has been made for doubtful debts. An amount of Rs 22.59 lakh is due for periods prior to 1994-95 and had not been recovered during the last four years. Rs 0.64 lakh is due for recovery since 1981-82. Therefore, Sundry Debtors (Certification) does not reflect a correct position since no provision have been made for bad and doubtful debts. Bureau stated (November 2000) that the action to write off of irrecoverable dues was under process.

3 GENERAL

3.1 Utilization Certificates in respect of grants utilized during 1999-2000 had not been submitted though an expenditure of Rs 5.89 lakh have been charged to the Accounts. The Utilization Certificates need to be submitted in Form 19A of GFRs.

3.2 बैंक समाधानों की स्थिति इस प्रकार थी :

3.2 The position of bank reconciliation was as under:

	31.3.2000 तक ऑडिट रिपोर्ट में यथाप्रदर्शित As on 31.3.2000 As shown in Audit Report		30.9.2000 तक अद्यतन स्थिति 31.3.2000 तक की अवधि से संबद्ध (As on 30.9.2000) Latest Position (Pertaining to Period up to 31.3.2000)	
	वस्तु Item	राशि Amount	वस्तु Item	राशि Amount
चैक जारी किए गए, किंतु भुगतान नहीं किया Cheques issued but not paid	473	18 970 242	57	1 826 436
चैक जमा किए गए, किंतु बैंक द्वारा जमा नहीं किए Cheques deposited but not credit by bank	346	32 999 168	39	368 338
असमायोजित बैंक क्रेडिट Unadjusted bank credit	28	866 552	28	866 552
असमायोजिक बैंक डिपोजिट Unadjusted bank deposits	66	2 062 137	48	1 388 507

4 तुलन पत्र तथा आय-व्यय पर लेखा प्रभाव तथा प्राप्ति और भुगतान लेखे पर लेखा परीक्षा की टिप्पणियों का प्रभाव

4.1 लेखा परीक्षा की टिप्पणियों का प्रभाव

पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में दी गई टिप्पणियों का कुल प्रभाव यह है कि 31.3.2000 को परिसम्पत्तियों का 274.60 लाख तक न्यून विवरण दिया गया।

4.2 ब्यूरो द्वारा लेखा परीक्षक के निर्देश पर एकाउंटिंग पॉलिसियों/अनुसूचियों/ वार्षिक लेखों की समीक्षा की गयी।

4 Effect of Audit Comments on Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipt & Payment Account

4.1 Effect of Audit Comments

The net impact of the comments given in preceding paras is that assets as on 31.3.2000 were understated by Rs 274.60 lakh.

4.2 Accounting Policies/Schedules/Annual Accounts was revised by the Bureau at the instance of Audit.

हस्ता./–
लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक
आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय
नई दिल्ली-110002

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22 दिसम्बर 2000

Sd./-
Principal Director of Audit
Economic & Service Ministries
New Delhi-110002

Place: New Delhi
Date : 22 December 2000

भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS
गोहाली
Mohali
चंडीगढ़
Chandigarh
गाजियाबाद
Ghaziabad
नई दिल्ली
New Delhi
साहिबाबाद
Sahibabad
फरीदाबाद
Faridabad
जयपुर
Jaipur
लखनऊ
Lucknow
कानपुर
Kanpur
पटना
Patna
गुवाहाटी
Guwahati
दुर्गापुर
Durgapur
भोपाल
Bhopal
जमशेदपुर
Jamshedpur
अहमदाबाद
Ahmedabad
राजकोट
Rajkot
राउरकेला
Rourkela
कलकत्ता
Calcutta
भुवनेश्वर
Bhubaneshwar
नागपुर
Nagpur
भिलाई
Bhilai
औरंगाबाद
Aurangabad
मुंबई
Mumbai
पुणे
Pune
हैदराबाद
Hyderabad
चेन्नई
Chennai
बंगलौर
Bangalore
कोयम्बटूर
Coimbatore
तिरूवनन्तपुरम
Thiruvananthapuram
मुख्यालय
Headquarters
क्षेत्रीय कार्यालय
Regional Offices
शाखा कार्यालय
Branch Offices
निरीक्षण कार्यालय
Inspection Offices
प्रयोगशालाऐं
Laboratories

मानकः पथप्रदर्शकः

भारतीय मानक ब्यूरो

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Web Site : http://www.bis.org.in